व्यवस्था परिवर्तन का
परिचय, वैचारिक विशेषताएँ, लक्ष्य की व्याख्या
एवं संविधान

भारतीय मुख्यालय : धर्म मन्दिर, उत्तरांचल भवन के पीछे,
चाणाक्य पुरी, नई दिल्ली-110021
दूरभाष : 9211013755, 9958829331, 9899446209
E-mail : change_of_system@ymail.com (use Adobe Photoshop S... see this doc...
Website: www.geocities.com/change_of_system@ymail.com (use Pagemak... to see this d... and Natural ...
and www.sansari.co.nr

धारा - 1

पार्टी का नाम प्रतिबद्धता, मानव समाज का वर्गीकरण, वैचारिक विशेषताएँ एवम् अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संबद्धता।

1. **पार्टी का नाम एवं प्रतिबद्धताः-**

पार्टी का नाम ''व्यवस्था परिवर्तन'' होगा। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद "Change of System" होगा। यह उच्चतम मानवीय आदर्शों तथा सिद्धान्तों पर आधारित राजनैतिक दल है। इसके कार्यालय की लेखन सामग्री के शीर्षकों एवम् साहित्यों के मुख पृष्ठ पर व्यवस्था परिवर्तन का पूरा नाम लिखा जायेगा। चुनावों के दौरान व्यवस्था परिवर्तन का प्रत्याशी सरकारी कागजों में व्यवस्था परिवर्तन का पूरा नाम लिखेगा। परन्तु प्रचार कार्यों में, यानी सामान्य बातचीत के दौरान, लेखों, सभाओं, सम्मेलनों, भाषणों, आन्दोलनों के नारों के दौरान, कहीं भी व्यवस्था परिवर्तन के नारों को लिखते समय तथा प्रेस विज्ञप्ति में इसे हिन्दी में संक्षेप में ''परिवर्तन'' के नाम से तथा अंग्रेजी में "Change" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस संविधान में जगह-जगह व्यवस्था परिवर्तन के पूरे नाम के स्थान पर ''परिवर्तन'' के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2. **प्रतिबद्धताः-**

व्यवस्था परिवर्तन धर्म निरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारतीय संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था चला कर देश के सर्वजन समाज के विकास हेतु कार्य करेगी।

3. **मानव समाज का वर्गीकरणः-**

संसार चन्द्र द्वारा लिखित प्राकृतिक दर्शन में लिपिबद्ध ज्ञान के आधार पर मानव समाज में वयस्क नागरिकों के केवल दो वर्ग हैं:-

(1) आत्मज्ञानी - बुद्धिमान, समझदार।

(2) देह अभिमानी - अल्पबुद्धि वाले, कम समझदार।

आत्मज्ञानी वर्ग के लोगों में आत्म चेतना का स्तर ऊँचा होता है अतः वे अपनी नैसर्गिक वृत्ति (Instinct) सहजज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान होने के कारण, प्राकृतिक

दर्शन में स्पष्ट किये गये, प्रकृति के अनुकूल विचार, एवं व्यवहार स्वत: ही करते हैं। वे स्वभाव से ही परमार्थी होते हैं। अत: वे अपने क्रिया कलापों से समाज का पोषण करते हैं। दूसरी ओर देह अभिमानी लोगों में आत्म चेतना का स्तर बहुत नीचा होता है। अत: वे वर्तमान समय में, समाज में प्रचलित तरह तरह के गलत दर्शनों के प्रभाव से उत्पन्न अन्धविश्वास, गलत धारणाएं, ज्ञान की कमी, गलत शिक्षा एवं कुसंस्कार तथा इससे उपजे अहंकार के कारण प्रकृति के प्रतिकूल विचार एवं व्यवहार करते हैं। वे अपने क्रिया कलापों से समाज का शोषण करते हैं। ऐसा करते समय वे यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी मरना है, तब यह धन सम्पत्ति यहीं रह जायेगी। दुनियां के बड़े पूंजीपति घरानों ने "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाई है। इसीलिए भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की मदद से उन्होंने समाज का वर्गीकरण, अमीरी-गरीबी, गांव-शहर, जाति-पात, भाषा, प्रदेश, देश, धर्म तथा नस्ल के आधार पर कर रखा है। ये सभी वर्गीकरण गलत हैं तथा परिवर्तन द्वारा अमान्य हैं क्योंकि इन सभी वर्गों में आत्मज्ञानी एवं देहअभिमानी वर्गों के लोग पाये जाते हैं। आगामी कुछ वर्षों में आत्मज्ञानी एवम् देहअभिमानी वर्गों का संघर्ष ही वर्ग संघर्ष एवं राजनैतिक संघर्ष का मुख्य मुद्दा बनेगा।

यद्यपि समाज में आत्मज्ञानी, (भले) लोगों की संख्या तथा शक्ति ज्यादा है पर वे संगठित नहीं हैं। जब कि देहअभिमानी (बुरे) लोग संख्या तथा शक्ति में कम होने पर भी संगठित होने के कारण समाज पर हावी हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छाई में सब अच्छाई हैं पर एक बुराई है कि वह सदैव संगठित नहीं रहती। जब कि बुराई में सब बुराइयों के होते हुए भी वह सदैव संगठित रहती है। इस स्थिति को बदलने हेतु परिवर्तन में आत्मज्ञानी (भले) लोगों को संगठित करने का प्रयास किया गया है।

निश्चित रूप में होने वाले इस विश्व व्यापी वर्ग संघर्ष (विश्व युद्ध) को टालने का एक मात्र उपाय यही है कि शिक्षा तथा मीडिया द्वारा देह अभिमानी लोगों में ज्यादा से ज्यादा आत्म चेतना विकसित की जाय। साथ ही समाज के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही आत्म ज्ञान की शिक्षा दी जाय।

4. **वैचारिक विशेषताएं:-**

परिवर्तन की विचारधारा भारत के प्राचीन वैदिक काल की संस्कति तथा उससे उपजी सभ्यता, परम्परा, लोकाचार तथा लोकनीति (Ethos) पर आधारित है। यह सभी आत्मज्ञानी जानते हैं कि जब शरीर का आत्मा से मिलन होता है तो प्राणी का जन्म माना जाता है और जब यह मिलन समाप्त होता है तो प्राणी की मृत्यु मानी जाती हे। मृत्यु होने पर शरीर पंचभूतों से मिल जाता है और आत्मा द्वारा अपने कर्मों का फल भोगने हेतु पुन: नये शरीर से मिलना नये प्राणी के जन्म का कारण बनता है। अत: प्राणी वास्तव में विराट प्रकृति की भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का छोटे से अंश है।

वर्तमान समय में देह अभिमानी, (आधुनिक समाज पर हावी) मानव स्वयम् को शरीर एवं आत्मा का मिलन न मानकर स्वयं को केवल एक शरीर मात्र मानते हैं। वह स्वयं को प्रकृति से अलग मानकर मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरी सम्पत्ति, मेरा उत्तराधिकार मेरी सत्ता इत्यादि के अंहकार में पड़ा है। इससे सीमाहीन

धन संचय सीमाहीन उत्तराधिकार एवम् सीमाहीन सत्ता संचय का दु:श्चक्र चल रहा है। ज्ञानी लोग जानते हैं कि इसक अन्तिम परिणाम विश्व युद्ध द्वारा मानव समाज के विनाश में होगा।

मानव का स्वयं को प्रकृति से अलग सत्ता मानना एक गलत विचार है- भ्रष्ट विचार है। इसी भ्रष्ट विचार के कारण उसके भ्रष्ट आचार होते हैं जो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं।

परिवर्तन का प्रयास रहेगा कि वह समाज में उपरोक्त आत्मज्ञान पर आधारित भारतीय वैदिक युग में पूर्णरूप से विकसित भारतीय संस्कृति तथा उससे उपजी सभ्यता, परंपरा, लोकाचार एवं लोकनीति का भरपूर प्रचार करे। तभी मानव यह महसूस करेगा कि सीमाहीन धन एवं सत्ता संचय बेकार है। क्योंकि मरने पर धन नहीं, कर्म आत्मा के साथ जाते हैं।

परिवर्तन आध्यात्म से प्रेरित, पोषित एवं संरक्षित संगठन है। इस की वैचारिक विशेषता यह है कि यह युगों से जाने माने, पर वर्तमान युग में व्यावहारिक रूप से उपेक्षित आत्मज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान की पुनर्स्थानपना करके, इसके आधार पर नई अर्थ नीति बनाकर समाज की पुर्नरचना करने को कृतसंकल्प है।

राज्यम् मूलम अर्थम् (राज्य यानि समाज वैसा ही बनेगा जैसी उसकी अर्थ नीति होगी।)

अर्थम् मूलम धर्मम् (अर्थ नीति को केवल धर्म जानने वाला तय कर सकता है। धर्म का मतलब मजहब या पंथ से नही वरन् प्रकृति के सिद्धान्तों का जानकार से है।)

धर्मम् मूलम इन्द्रिय जय (धर्म को केवल वही जान सकता है जिसने अपनी इन्द्रियों की वासनाओं की जीत लिया हो)

परिवर्तन यह मानती है कि आत्मज्ञान एवं आध्यात्मिक विचारों के सही एवं पूर्ण सम्प्रेषण के लिए आत्मानुभूति ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।

किसी भी भौगोलिक प्रदेश की एक विशेष प्रकार की जलवायु होती है। यह उस प्रदेश की प्रकृति कही जाती है। प्रदेश की प्रकृति ही उस क्षेत्र के जीवों तथा मानवों की प्रकृति (स्वाभाव) के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक होती है। यदि उस क्षेत्र की शासन व्यवस्था, उसके नागरिकों की प्रकृति के विपरीत कानून बनाती है तो वहां विकृति फैल जाती है, फलस्वरूप अंधेगर्दी तथा गुण्डाराज फैलता है। पर जब शासन व्यवस्था उसके नागरिकों की प्रकृति के अनुरूप कानून बनाती है तो वहां संस्कृति का विकास होता है। फलस्वरूप अमन चैन तथा खुशहाली आती है। संस्कृति के आधार पर ही सभ्यता, परंपरा, लोकाचार एवं लोकनीति का निर्माण होता है।

परिवर्तन का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की समस्याओं का वास्तविक निदान उसकी संस्कृति में निहित शक्तियों तथा सम्भावनाओं द्वारा ही हो सकता है। किसी भी भाषा में लिखे अथवा बोले हुए विचार आत्मज्ञान प्राप्त करने में मात्र सहायक ही हो सकते हैं। अत: जो सदस्य पूर्ण आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं उन्हें धारा 10 में वर्णित

परिवर्तन के भारतीय मुख्यालय से उपलब्ध, पुस्तकों का बार बार अध्ययन, मनन एवं अनुशीलन करना चाहिये। ऐसा करने पर वे अपनी आत्मा को अज्ञानता की कैद से मुक्ति दिलाकर महसूस कर पाऐगे कि व स्वयम ही प्रकृति (ब्रह्म) है। यह संविधान तो केवल देश की कानूनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु एवं नए सदस्यों की प्रारम्भिक जानकारी हेतु लिपिबद्ध किया गया है।

उपर्युक्त पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर परिवर्तन की अन्य वैचारिक विशेषताएं स्पष्ट रूप से समझी जा सकती हैं। उनमें से प्रमुख विशेषताएं निम्न है:

1. परिवर्तन का लक्ष्य भारत को वैचारिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गुलामी से आजाद कराकर, भारतीय संस्कृति के अनुरूप जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इस राज्य का चरम लक्ष्य नई पीढ़ी के नागरिकों को, वर्तमान पीढ़ी के नागरिकों की तुलना में ज्यादा योग्य बनाना है जिससे वे अज्ञानता, बेरोजगारी, गरीबी तथा आतंकवाद से मुक्त हो सकें। जल, जमीन जंगल पर्यावरण तथा जीवों पर निर्वाचित स्थानीय सभा का ट्रष्टीशिप का अधिकार होगा।
2. इसका आधार संसार चन्द्र द्वारा लिखित प्राकृतिक दर्शन में उल्लिखित प्राकृतिक न्याय है। इसमें ''समान अधिकार'' की तुलना में ''समान अवसर'' के सिद्धान्त को श्रेष्ठ माना गया है। केवल समान अवसर के सिद्धान्त पर ही, समाज रचना करने से सभी को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय मिल सकता है।
3. इसमें पूंजीवाद या साम्यवाद की तुलना में भारतीय समाजवाद (प्राकृतिक समाजवाद, प्रकृतिवाद) को श्रेष्ठ माना गया है। इसके अनुसार पूंजीपति, देश की राजनैतिक गतिविधियों में, तथा राजनीतिज्ञ, देश की आर्थिक गतिविधियों में दखलंदाजी नहीं करेंगे।
4. शेयर बाजार के सट्टे बाज़ों के पूँजीवाद के स्थान पर उद्यमियों का पूँजीवाद लाया जाऐगा।
5. परिवर्तन पूरा प्रयास करेगी कि राजनीति, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी 50% हो। युवा नागरिकों की भागीदारी 66% हो इसमें 33% युवा लड़कों तथा 33% युवा लड़कियों की होगी।
6. इसमें वर्तमान लोकतंत्र की तुलना में प्रगतिशील वास्तविक लोकतन्त्र, अर्थात प्रत्यक्ष एवं सहभागी लोकतन्त्र (योग्यतंत्र) को श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि परिवर्तन की मान्यता है कि लोकतन्त्र के वर्तमान स्वरूप में सैद्धान्तिक आधारभूत कमियां हैं। इसे सभी राजनीतिज्ञ जानते हैं।
7. इसमें समता (Equality) के सिद्धान्त की तुलना में ममता (Motherliness) यानि वात्सल्य के सिद्धान्त को श्रेष्ठ माना गया है। इसके अनुसार नर तथा नारी समान तो हैं परन्तु घर तथा समाज निर्माण में उनकी भूमिका एक दूसरे के पूरक के रूप में है।

8. इसमें सर्वोदय के सिद्धान्त की तुलना में योग्योदय के सिद्धान्त को श्रेष्ठ माना गया है।

9. इसमें प्राचीन काल में प्रचालित वानप्रस्थी परम्परा के आधुनिक स्वरूप समाजप्रस्थी परम्परा को जीवन्त रूप देने का संकल्प है। इसके अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को धन कमाने के बजाय समाज-कल्याण के कार्य के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस कार्य के लिये उनके निजी खर्च के अलावा अन्य सभी खर्चों के लिये धन की व्यवस्था समाज करेगा।

5. **अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्बद्धता:-**

फिलहाल परिवर्तन केवल भारत में ही है। अवसर मिलने पर शीघ्र ही विश्व के अन्य देशों के लोगों से उनके देशों की परिवर्तन बनाने में वैचारिक सहयोग किया जायेगा। ये सभी परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक संगठन बनायेंगे, जिसका नाम ''सर्वदेशीय व्यवस्था परिवर्तन'' होगा। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद : Universal Change of System" होगा। भारतीय परिवर्तन सहित सभी देशों की पार्टियाँ उसकी सहयोगी शाखाएं बनेगी ताकि हमारा राजनैतिक दर्शन विश्व व्यापी हो सके।

धारा - 2

लक्ष्य, प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य की व्याख्या-

1. **लक्ष्य :-**

परिवर्तन लक्ष्य भारत को वैचारिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृति गुलामी से आजाद कराकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसका चरम लक्ष्य नई पीढ़ी के नागरिकों को वर्तमान पीढ़ी के नागरिकों की तुलना में अधिक योग्य तथा खुशहाल बनाना है। इस राज्य में प्राकृतिक दर्शन में स्पष्ट किये गये ''समान अवसर'' के सिद्धान्त के अनुरूप भारत के प्रत्येक नागरिक को गर्भ में आने से मृत्यु तक '' विकास के समान अवसर'' व्यावहारिक रूप से उपलब्ध कराना, परिवर्तन का एक सूत्री कार्यक्रम है। परिवर्तन का यह मानना है कि जो राजनीतिज्ञ देश की संस्कृति का विकास नहीं कर सकते उन्हें राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सत्ता का उपयोग उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने हेतु केवल साधन के रूप में ही किया जायेगा।

व्यवाहारिक रूप में परिवर्तन सर्वजन समाज में सभी को शिक्षा, व्यवसाईक शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी अथवा एवम् रोजगार के भरपूर अवसर देगी। न्यूनतम मजदूरी 300/-रु. प्रतिदिन करेगी तथा किसानों को अन्न, सब्जियों, फलों और फूलों को अन्तराष्ट्रीय बाजार भाव दिलवाएगी। यह उनको वर्तमान समय में मिल रहे भाव से दो गुना होगा। बेरोज़गार व्यस्क नागरिकों को 100/-रु. प्रतिदिन का बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा।

2. **प्रतिबद्धता:-**

परिवर्तन हर कीमत पर देश की एकता एवं अखण्डता की रक्षा करेगा। परिवर्तन जन कल्याणकारी राज्य में प्राकृतिक समाजवाद अर्थात् भारतीय समाजवाद (प्रकृतिवाद) प्रगतिशील वास्तविक लोकतन्त्र अर्थात् प्रत्यक्ष एवं सहभागी लोकतन्त्र (योग्यतन्त्र) एवं पंथ निपेक्षता के सिद्धान्तों के लिए प्रतिबद्ध है। परिवर्तन बहुदलीय संसदीय प्रणाली द्वारा

राजनैतिक सत्ता प्राप्त करेगा। परिवर्तन आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धान्तों पर आधारित राजनीति में निष्ठा रखता है। जिसके अभाव में, राजनीति स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गई है।

3. **लक्ष्य की व्याख्या:-**

(क) **सरकार के कार्यक्षेत्रों को घटाना:-**

विश्व में अभी तक समाजवाद तथा साम्यवाद की गलत व्याख्या के कारण आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों को सरकार द्वारा किया गया है। जबकि सरकार राष्ट्र नहीं है बल्कि राष्ट्र का एक छोटा सा अंग मात्र है। इसी गलती के कारण, भारत में भी सरकार ने अपने कार्यक्षेत्र का अनावश्यक विस्तार कर लिया है। यह अवांछनीय एवं समाज के लिए घातक है। परिवर्तन की विचार धारा के अनुसार धर्म, धन, धन्धे, शिक्षा, चिकित्सा, समाज-कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, समाज सेवा एवं मनोरंजन के साधनों में सरकार की दखलन्दाजी तुरन्त समाप्त होनी चाहिये।

(ख) **सरकार के कार्य:-**

सरकार का प्रमुख कार्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना द्वारा नई पीढ़ी के नागरिकों को वर्तमान पीढ़ी के नागरिकों की तुलना में अधिक योग्य बनाना है इस कार्य को करने के लिए समाज द्वारा सरकार को केवल निम्न छः क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। शेष कार्य समाजप्रस्थियों द्वारा संचालित समाजसेवी स्वायत्वशी संस्थाओं के माध्यम से होंगे।

1. बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा, सुरक्षा के लिये सेना तैयार रखना।
2. नागरिकों की रक्षा सुरक्षा के लिये, पुलिस द्वारा गुण्डों, हिंसक व आर्थिक अपराधियों को नियंत्रित करना तथा जनता द्वारा बनाई गई स्थानीय सुरक्षा गार्ड को अपने टैक्स का एक हिस्सा देना।
3. न्यायालय की शरण जाने पर, नागरिकों को शीघ्र निःशुल्क न्याय दिलाना।
4. देश में एक मान्य मुद्रा चलाना, जिसकी प्रतिष्ठा विदेशों में भी हो।
5. आवश्यक राजस्व जमा करना और खर्च करना।
6. सभी देशों से, विशेषकर पड़ोसी देशों से पूरक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के आधार पर मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास करना।

(ग) **समाजप्रस्थियों द्वारा संचालित स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य:-**

1. समाज के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा वयस्क होने तक उपलब्ध कराना।
2. परिवार नियोजन - इसका लक्ष्य जनसंख्या घटाना है। यह इस प्रकार करना है कि नई पीढ़ी के नागरिक वर्तमान पीढ़ी के नागरिकों की तुलना में अधिक योग्य बनें। यह कार्य जन कल्याणकारी राज्य का चरम लक्ष्य है।
3. सार्वजनिक वितरण - जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव का नियंतत्रण करना, ताकि वे गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की आर्थिक

क्षमता के भीतर हों।

4. समाज कल्याण – सभी व्यस्क नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार न मिलने की स्थिति तक बेरोज़गारी भत्ता देना।
5. सार्वजनिक निर्माण कराना।

धारा – 3

उपरोक्त लक्ष्य को निम्न भारतीय समाजवादी, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त किया जावेगा। ये व्यवस्थाएं मोटे तौर पर, भारत को विश्व में इसका उचित स्थान दिलाने हेतु श्रेष्ठ व्यवस्थाएं हैं। किन्तु भारत एक विशाल देश है। यहां भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण हर प्रान्त की भिन्न प्रकृति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति के कारण समस्याओं की प्राथमिकताएं भिन्न हैं। अत परिवर्तन के प्रदेशाध्यक्षों को यह छूट दी जाती है कि वे अपने प्रान्त की राजनैतिक आवश्यकता अनुसार सैक्रेट्री जनरल परिवर्तन (देखें धारा 15) से सलाह मशविरा करके उनके निर्देशानुसार अपने प्रान्तों के चुनाव घोषणा पत्र तथा संघर्ष के मुद्दे तय कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उस प्रान्त की एक राजनैतिक समिति बनाई जा सकती है। परन्तु प्रान्तों के घोषणा पत्र तथा संघर्ष के मुद्दे इस संविधान के मुद्दों के विपरीत नहीं होने चाहिये। मतभेद की स्थिति में सैकेट्री जनरल का निर्णय अन्तिम होगा।

(क) **प्रकृतिवादी (भारतीय समाजवादी) आर्थिक व्यवस्था:-**

(1) **आर्थिक आदर्शों की स्थापना:-** सादगी, किफायत, स्वदेश एवं अपरिग्रह के आदर्शों को दैनिक जीवन का अंग बनाया जावेगा।

(2) **भूमि सुधार कानून:** मानव सभ्यता के आरम्भ में महिलाओं ने मानव को खेती करना सिखाया अत: माताओं को कृषि भूमि में खातेदार बनने का प्राकृतिक एवं नैर्सगिक अधिकार है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा तय किया जायेगा कि कितने लोगों के परिवार में, किस प्रकार की कितनी कृषि योग्य भूमि होने पर पैदावार अधिकतम हो सकती है। इसके अनुसार कृषि भूमि केवल उन्हीं परिवारों की माताओं के नाम पर खातों में लिखी जाऐगी। जो उस पर खेती करेंगे। अतिरिक्त भूमि समाजप्रस्थियों की संस्थाओं द्वारा बड़े भूपतियों को भूमि का मुआवजा देकर भूमि प्राप्त करके, भूमिहीनों को किराये पर खेती करने के लिये दी जायेगी। यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। यह कार्य परिवर्तन के सत्ता में आने पर हर हालत में एक वर्ष में पूर्ण हो जाना चाहिये अन्यथा परिवर्तन की उस सरकार को इस्तीफा देना होगा। देश में कृषि योग्य भूमि यदि कम पड़े तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के देशों, कनाडा, रूस मंगोलिया तथा आस्ट्रेलिया से समझौता करके भूमि हीन किसानों की माताओं को वहां खेती कि लिये भूमि दिलाई जाएगी।

(3) **आर्थिक नीति:** उद्योग, व्यापार, बैंक, विद्युत, खनिज, यातायात, निर्यात, आयात, कृषि सिंचाई आदि के क्रियाकलापों को इन्हीं श्रेणी के उद्यमियों,

व्यापारियों तथा किसानों द्वारा संचालित गैरसरकारी केन्द्रीय संघों द्वारा नियन्त्रित किया जायेगा। सरकार की दखलन्दाजी केवल राजस्व वसूली तक ही सीमित रहेगी।

(4) **राजस्व नीतिः-** धन पवित्र वस्तु है। काले धन की अवधारणा गलत है। इसकी उत्पत्ति सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई। अतः परिवर्तन के सत्ता में आते ही 7 दिन में सारे धन को सफेद धन माना जायेगा तथा इस पर सम्पत्ति कर नहीं लगेगा। भारतीय नागरिकों को विदेशों में जमा असीमित धन वैधानिक तरीकों से तुरन्त भारत में लाकर निवेश किया जाएगा।

राजस्व की वसूली एवं वितरण प्रकृति द्वारा नियंत्रित, पानी के स्थानान्तरण के तरीके अर्थात् सूर्य द्वारा पानी को बादल बनाकर वर्षा द्वारा पानी के वितरण के तरीके के अनुसार होगा। जिस प्रकार सूर्य छोटे तालाब से उसकी क्षमता के अनुसार कम मात्रा में तथा बड़ी झील तथा समुद्र से ज्यादा मात्रा में पानी का भाप (बादल) बनाता है, उसी प्रकार मध्यवर्गीय नागरिकों, लघु उद्योगों एवं छोटे व्यापारियों पर राजस्व वसूली का भार कम तथा बड़े उद्योगपतियों एवं बड़े व्यापारियों पर उसका भार अधिक होगा।

राजस्व वितरण हेतु जिस प्रकार बादल छोटे तालाबों, बड़ी झीलों और महासागरों पर समान रूप से बरसते हैं और ये अपनी क्षमता अनुसार जल संग्रह कर लेते हैं उसी सिद्धान्त के अनुसार हर नागरिक को विकास के समान अवसर दिये जायेंगे। ताकि हर नागरिक अपनी नैसर्गिक क्षमता अनुसार अपना विकास कर सकें और किसी को कोई गिला शिकवा न हो।

राजस्व का संचय दो प्रकार से किया जावेगा। (क) कर, (ख) दान

(क) **करः-**

कर केवल चार प्रकार के लगाये जायेंगे। निर्यातकों पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। उन्हें उनके द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं से प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा का 25 प्रतिशत सरकार को देना होगा, उसके बदले में, उन्हें उतने मूल्य की भारतीय मुद्रा मिलेगी। निर्यातकों के निर्यात में बाधा डालने वाली सभी प्रशासनिक रुकावटों को समाप्त किया जायेगा।

(1) **आयात कर** - इसे भारत के आर्थिक हितों के अनुरूप युक्ति संगत बनया जाएगा। सोने चाँदी तथा अन्य सभी खनिज तत्वों पर से आयात कर समाप्त कर दिया जायेगा।

(2) **उत्पादन कर-** बड़े तथा मझले उद्योगों पर 8 घंटे के दौरान यानी एक पाली के दौरान उनकी उत्पादन क्षमतानुसार उत्पादन कर लगेगा। उद्योगों के माल की मांग बढ़ने पर दूसरी एवं तीसरी पाली के उत्पादन पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा अन्य सभी कर, चुंगी, टोल टैक्स समाप्त कर दिये जावेंगे। साथ ही हस्त उद्योगों पर सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिये जावेंगे।

(3) **गुरु दक्षिणा-** व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र, कालेज तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा पाये हुए व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अपनी कुल वार्षिक आय में से निम्न

प्रकार से प्रतिशत भाग गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरू पूर्णिमा के पहिले, चैक द्वारा, उन शिक्षा केन्द्रों में भेजना होगा, जहां उनके अनुसार, उन्होंने जीवन की वास्ताविक शिक्षा पाई। वे तथा जो भी व्यक्ति चाहें, अपनी श्रद्धा के अनुसार, ज्यादा गुरू दक्षिणा दे सकते हैं। प्रतिशत आय निम्न प्रकार देनी है - उन पर अन्य किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा।

1. 50 हजार रु. तक वार्षिक आमदनी पर दो प्रतिशत
2. 50 हजार रु. से 75 हजार रु. आमदनी पर तीन प्रतिशत
3. 75 हजार रु. से 1 लाख रु. वार्षिक आमदनी पर चार प्रतिशत
4. एक लाख से 1.5 लाख रु. वार्षिक आमदनी पर सात प्रतिशत
5. डेढ़ लाख से 2 लाख रु. वार्षिक आमदनी पर दस प्रतिशत

(4) **धर्मादा (ज़कात)**- हर व्यवसायी अपनी बिक्री का दो प्रतिशत भाग चैक द्वारा सीधे ही, अपने क्षेत्र की पंजीकृत समाज सेवी संस्थाओं को, उनके सेवा कार्यों के लिये दे तथा सरकार को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दे। सभी उद्यामी तथा व्यवसायी आपसी लेन-देन चैक या बैंक ड्राफ्ट से ही कर सकेंगे।

(ख) **दान:-**

कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज सेवी संस्था या किसी भी विद्यालय को, कितना भी दान कर सकता है। इस बारे में उससे, उसके उस धन के स्तोत्र के लिये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा।

(5) **समाजप्रस्थी परम्परा**- भारत की प्राचीन वानप्रस्थी परम्परा को पुनर्जीवित किया जायेगा। वनों के नष्ट हो जाने के कारण अब 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक जंगल में जाकर वानप्रस्थ नहीं ले सकते। अत: ये समाज में ही रहकर धन कमाने या परिवार के पचड़ों के लिप्त रहने के बजाय समाज कल्याण के कार्य, स्वायत्तशासी सेवा भावी संस्थाओं के माध्यम से करें। इसके लिए इन्हें प्रोत्साहित किया जावेगा। (उपरोक्त धारा ~~3 (4) क~~ (4) में) वर्णित "धर्मादा" (ज़कात) द्वारा इन संस्थाओं को धन दिया जायेगा। इन संस्थाओं के मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षा, चिकित्सा, परिवार नियोजन, सार्वजनिक वितरण, समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण व्यवस्था है। सरकार का दायित्व केवल यह सुनिश्चित करना है कि इन कार्यों की पूर्ति हेतु धन की कमी या किसी प्रकार की रुकावट न आने पाए तथा धन का दुरुपयोग न होने पाए।

(क) **शिक्षा:-** शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिये यह आवश्यक होगा कि 6 वर्ष 16 वर्ष की आयु तक, हर बालक-बालिका को छात्रावास या गुरूकुल में रखकर उत्तम संस्कार, भरपूर आत्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा नि:शुल्क दें। केवल योग्य छात्रों एवं छात्राओं को नि:शुल्क उच्च शिक्षा दी जाय। उच्च शिक्षा की व्यवस्था उद्योगपति अपने संगठनों द्वारा करेंगे। नवीन तकनीक का विकास एवं अनुसंधान कार्य भी उन्हीं की आवश्यकतानुसार, उन्हीं के खर्च से होगा। किसी भी नागरिक को सैनिक शिक्षा वेदान्त दर्शन एवं प्राकृतिक दर्शन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

(ख) **चिकित्सा:-** चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा

गर्भवती माताओं, वयस्क होने की उम्र तक बच्चों, मानसिक रोगियों, नेत्रहीनों, विकलांगों तथा 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाएगी। शेष नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कराने पर चिकित्सा सुविधा दी जायेगी।

(ग) **परिवार नियोजनः-** परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं का लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को केवल एक ही बच्चा पैदा करने के लिये प्रेरित करना होगा ताकि वे शीघ्र ही गरीबी के दुश्चक्र से मुक्ति पा सकें। एक बच्चा होने के बाद यदि कोई दम्पत्ति नसबन्दी न कराना चाहे तो उसे एक किलो सोना, समाज प्रस्थियों की संस्था को देना होगा। यह सोना बच्चे को वयस्क होने पर उत्तराधिकार के रूप में दे दिया जायेगा। यदि कोई दम्पत्ति यह सोना देने की स्थिति में न हो तो एक बच्चा होने के बाद उनकी नसबन्दी अनिवार्य रूप से कर दी जायेगी।

(घ) **सार्वजनिक वितरणः-** सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिये पूरे देश में एक ही संस्था कार्य करेगी। जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के अलावा यह हस्त, गृह, कुटीर, ग्राम एवं लघु उद्योगों को कच्चा माल देकर, उनसे तैयार माल बदले में लेने की सुविधा प्रदान करेगी ताकि वे खरीददारी एवं बिक्री की अनगिनत समस्याओं से मुक्ति पाकर अपना पूरा ध्यान गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाने में लगा सकें।

(ड.) **समाज कल्याणः-** समाजप्रस्थियों द्वारा समाज के कमजोर वर्ग, बृद्ध, बेसहारा, महिलाएं, विकलांग, अन्धे, मानसिक रोगी, आदि के लिये निःशुल्क आवास भोजन, व चिकित्सा की व्यवस्था की जाऐगी। उनकी क्षमतानुसार उन्हें प्रशिक्षण देकर, स्वावलम्बी बनाया जायेगा ताकि वे आत्मसम्मान से जीवन बिता सकें।

(च) **सार्वजनिक निर्माणः-** जनता की आवश्यकता अनुसार समाजप्रस्थी देश में खेतों की सिंचाई व बाढ़ के नियंत्रण के लिये निर्माण कार्य को प्राथमिकता देंगे। फिर उद्योगों के लिये भवन, व्यवसाय के लिये दुकान तथा रहने के लिये मकान बनवा कर उसे जनता को किराये पर देंगे। परिवर्तन का मानना है कि दुनिया एक सराय है जहाँ व्यक्ति कुछ वर्षों के लिये आता है। जब हम सराय में कमरा खरीदते नहीं वरन् उसे किराये पर लेते हैं तो व्यक्ति दुनियां में आकर अचल सम्पत्ति क्यों खरीदें ? गरीब, मध्यम वर्गीय लोग व्यापारी एवं लघु उद्यामी ऐसे सरकारी भवन, रहने, दुकान अथवा उद्योगों के लिये किराये पर ले सकेंगे। फिर भी जो लोग अपनी अचल सम्पत्ति बनाना चाहेंगे उन्हें कोई रोक नहीं होगी।

(6) **अन्य आर्थिक उपायः-**

(क) **व्यक्तिगत उत्तराधिकारी को सीमित करना-** परिवर्तन का यह मानना है कि समाज के सभी बच्चों को विकास के "समान अवसर" मिल जाने के उपरान्त अमीर लोगों के बच्चों को व्यस्क होने पर उत्तराधिकार के कानूनों के कारण बहुत अधिक सम्पत्ति मिल जाने से उन युवकों एवं युवतियों द्वारा जीवन की दौड़ में "समान अवसर" के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा। वास्तव में उत्तराधिकार में बहुत अधिक सम्पत्ति मिलने की जानकारी मात्र से स्वयं बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में दोष उत्पन्न

हो जाते हैं। भारत में जानी मानी लोकोक्ति भी है:-

"पूत सपूत तो क्यों धन संचै,
पूत कपूत तो क्यों धन संचै"

अत: सम्पत्ति का अधिकार संविधान में यथावत बना रहेगा। किन्तु किसी भी बच्चे को सम्पत्ति के उत्तराधिकार के कानून के अन्तर्गत वयस्क होने पर एक किलो सोने के मूल्य से अधिक की सम्पत्ति नहीं मिल पायेगी। इसके लिये संविधान में संशोधन किया जायेगा। सम्पत्ति के उत्तराधिकार की अधिकतम सीमा, एक किलो सोने की मात्रा से कम या ज्यादा हो इसका अन्तिम निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार समाज के प्रत्येक बच्चे को समान अवसर तथा आर्थिक न्याय मिल सकता है।

(ख) **हड़ताल तथा तालाबन्दी:-** हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया जायेगा। तालाबन्दी अथवा बीमार होने पर उद्योग को एक माह में नीलामी द्वारा दूसरे उद्यमी को बेच दिया जायेगा।

(ग) **कर्मचारी की कार्य क्षेत्र में आर्थिक एवं प्रशासनिक भागीदारी:-** काल मार्क्स के अनुसार "पूंजी" (Capital) के निर्माण में मजदूरों के श्रम का योगदान "अतिरिक्त मूल्य" (Surplus Value) के रूप में होता है। अत: उत्पादन करने वाली सभी संस्थाओं में संलग्न सभी नागरिकों को यह अधिकार तथा कर्तव्य है कि वे जिस संस्था में नौकरी करते हैं वहां स्वयं की पूंजी का भी निवेश करें।

अत: संविधान में संशोधन किया जायेगा। इसके द्वारा सभी कर्मचारियों को हर साल बोनस के बदले उस संस्था के शेयर दे दिये जायेंगे। जहां वे नौकरी करते हैं। संस्था द्वारा नये शेयर जारी करने पर उन्हें शेयर खरीदने का प्रथम अधिकार होगा। वे जब तक उस संस्था में कार्य कर रहे हैं, उन शेयरों को हस्तान्तरित नहीं कर सकेंगे। यह व्यवस्था पहले बड़े तथा माध्यम उद्योगों पर लागू की जायेगी। फिर इसे उत्पादन करने वाली सभी संस्थाओं पर लागू किया जायेगा।

यदि कर्मचारी नये संस्थान में नौकरी करना चाहता है तो उसे पुराने संस्थान के शेयर अपने पुराने साथियों अथवा मालिक को बेचकर, नये संस्थान में उतने ही मूल्य के शेयर लेने होंगे। किसी संस्थान के कर्मचारियों के शेयर मूल्यों के आधार पर उसके प्रतिनिधि, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की सभा में बैठकर उस संस्था के लाभप्रद संचालन हेतु अपना योगदान करेंगे। समाज में आर्थिक समता लाने एवं सामाजिक न्याय की दिशा में यह कार्यक्रम महत्व पूर्ण एवं आवश्यक है। सेवा निवृत होने पर उसके मालिक को उसके सारे शेयर को नकद मूल्य देकर खरीदने होंगे। इस प्रकार बुढ़ापे में उसको काफी बड़ी रकम मिल जायेगी।

(घ) **ब्याज समाप्ति:-** धन एक जड़ वस्तु है। कोई भी जड़ वस्तु कहीं भी पड़ी रहने और कितना भी समय बीतने पर भी बढ़ नहीं सकती। अत: उधार लिया हुआ या दिया हुआ धन भी, समय बीतने पर ब्याज के आधार पर बढ़ नहीं सकता। ब्याज की अवधारणा ही अप्राकृतिक अनैतिक और मनुष्य को निकम्मा बनाने वाली है। परिवर्तन के शासन में, ब्याज लेने वाले या देने वाले व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति जप्त कर ली

जायेगी। नागरिकों के लिये अपना पैसा स्वदेशी बैकों में रखना अनिवार्य होगा। स्विट्जरलैन्ड के बैकों से प्रतिस्पर्धा हेतु उन्हीं की जैसी सब सुविधाऐं देने वाले विशेष बैंक खोले जायेंगे जिनमें डालर यूरो अथवा येन जमा कराने पर ब्याज तथा अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

(ड.) **धन्धे की पूरी आजादी:-** पूंजीपतियों की सम्पत्ति कोई नहीं लेगा। उसे वे अपने विवेक अनुसार उद्योग व्यवसाय या निजी खर्च के लिये उपयोग में ला सकेंगे। अपनी सम्पत्ति को वे वसीयत द्वारा, किसी भी संस्था को धार्मिक, समाजिक कार्यों तथा शोध एवं विकास (Research & Development) शिक्षणिक कार्यों में खर्च करने के लिये दे सकेंगे। वे समाज के गरीब लोगों के प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों के उद्योग एवं व्यापार में आर्थिक मदद भी कर सकेंगे।

(च) **समन्वित विकास:-** नृतत्व शास्त्रियों तथा समाज शास्त्रियों की सलाह लिये बिना किया गया आर्थिक विकास एवं घोर भौतिकवाद एवं आन्तरिक उपनिवेशवाद ही भारत में सामाजिक हिंसा, आतंकवाद, अलगाववाद आदि हिंसक प्रवृत्तियों का मूल कारण है। उपरोक्त आधार पर सम्पत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे से ये समस्याएं स्वत: समाप्त हो जायेंगी।

(ज) **भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा आर्थिक न्याय:-** यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन आर्थिक उपायों के कारण, भ्रष्टाचार समाप्त हो, जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण को सुगमता से उपलब्ध हों वे इनके दाम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आर्थिक क्षमता के भीतर हों। बेरोजगारी समाप्त हो। समान काम के लिये समान वेतन की नीति लागू की जायेगी। सभी प्रकार की नौकरियों में न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन का अनुपात 1:3 को होगा। स्वस्थ व कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति की योग्यतानुसार काम के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों को सूची में शामिल किया जायेगा एवं रोजगार न मिलने तक उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

(झ) **धातु की मुद्रा:-** कागजी मुद्रा के स्थान पर धातु की मुद्रा चलाई जायेगी। उसमें मुद्रा के मूल्य के बराबर मूल्य की धातु होगी। इससे नकली नोटों का चलन समाप्त हो जायेगा।

(ख) **प्रकृतिवादी सामाजिक व्यवस्था:-**

(क) **जातिवाद का उन्मूलन:** सभी सरकारी कागजों में, शिक्षा संस्थाओं की डिग्री तथा प्रमाण पत्रों में जाति एवं सम्प्रदाय के स्थान पर, नागरिक के मां, बाप, मुहल्ले तथा गांव का नाम लिखा जायेगा। जाति तथा सम्प्रदाय के नाम या आधार पर चलने वाली सभी प्रकार की संस्थाओं को सभी प्रकार की सहायता बन्द कर दी जायेगी। व्यक्ति शादी ब्याह तथा अन्य व्यक्तिगत कार्यों में जाति का उपयोग कर सकेगा।

(ख) **नारी को पूज्यनीय स्थान:** गर्भ में बच्चे की हत्या कर देने वाले माता-पिता की अनिवार्य नसबन्दी कर दी जायेगी। गर्भ हत्या से सम्बन्धि

त सभी व्यक्तियों तथा नारी उत्पीड़न के सभी दोषी व्यक्तियों की सारी सम्पत्ति जप्त करके देश निकाला दे दिया जायेगा।

(ग) **नवयुवकों के साथ न्याय:** 18 वर्ष से अधिक आयु का लड़का यदि देश के विधायकों तथा सांसदों को चुन सकता है तो विवाह क्यों नहीं कर सकता? आयु में अन्तर होने के कारण पति अपनी पत्नियों को दबाव में रखते हैं। पति पत्नी की आयु में एक वर्ष से अधिक अन्तर ठीक नहीं। अत: 18 वर्ष के लड़के को भी विवाह का अधिकार दिया जायेगा।

(घ) **नागरिकों को सुरक्षा:** सभी नागरिकों को गुंडों, वं हिंसक अपराधियों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जायेगी। इसके लिये हर गांव तथा वार्ड के स्थानीय सुरक्षा गार्ड के सदस्यों को इनसे लड़ने का प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जायेगा।

(ड.) **प्रभावी न्याय:** न्यायाधीशों की संख्या पाँच गुनी की जायेगी तथा शीघ्र न्याय हेतु उन्हें कम्प्यूटर तथा आधुनिकतम सुविधाऐं दी जायेंगी। न्यायालय की शरण में जाने पर शीघ्र नि:शुल्क न्याय दिलवाया जायेगा। मृत्यु दण्ड समाप्त किया जायेगा।

(च) **अनुवांशिक सुधार:** नई पीढ़ी के नागरिकों को वर्तमान पीढ़ी के नागरिकों की तुलना में अधिक योग्य बनाने हेतु वैज्ञानिक उपाय किये जायेंगे। आधुनिक विज्ञान में मानव के गुण सूत्रो (Geans) को श्रेष्ठतर बनाने का क्रान्तिकारी शोध कार्य चल रहा है। परिवर्तन सरकारी प्रयोगशालाओं के लिये भरपूर साधनों की व्यवस्था करेगी। इसके सफल होने पर नई पीढ़ी के नागरिकों को वर्तमान पीढ़ी के नागरिकों से वैज्ञानिक विधि द्वारा अधिक योग्य बनाया जा सकेगा।

परिवार नियोजन के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता एवं ज्यादा प्रभावी ढंग से स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा चलाया जायेगा। अनुवांशिक विज्ञान द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि कुछ रोग अनुवांशिक होते हैं। ऐसे रोग के रोगियों को समाज में जन्मजात बीमार बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अत: उनकी अनिवार्य नसबन्दी कर दी जायेगी।

(छ) **नर तथा नारी समान नहीं वरन् पूरक हैं:** पश्चिमी देशों में नागरिक को समाज की न्यूनतम इकाई मानकर नर तथा नारी को समान समझ कर उनके समान अधिकारों की बातें की जाती हैं। किन्तु परिवर्तन का मानना है कि समाज की न्यूनतम इकाई नर या नारी नहीं वरन् उनका जोड़ा है। इस न्यूनतम इकाई को हम ''परिवार'' कहते हैं। परिवार में नर तथा नारी एक दूसरे के समान नहीं वरन् एक दूसरे के पूरक हैं यद्यपि दोनों ही समाज के लिये महत्वपूर्ण हैं परन्तु उनके पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा अन्य सभी प्रकार के कर्तव्य एवं अधिकार भी

पूरक ही होंगे।

(ज) **राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की 50% भागीदारी का भरपूर प्रयास किया जाएगा:** जब नर व नारी एक दूसरे के पूरक हैं तो सरकारी नौकरी पाने हेतु नर-नारी में प्रतिस्पर्धा अन्याय पूर्ण, अनैतिक एवं गलत है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा समान लोगों में ही हो सकती है। अत: सही यही होगा कि नर नर से, तथा नारी नारी से प्रतिस्पर्धा करे। क्योंकि समाज में 50 प्रतिशत संख्या नारियों की है अत: कुल सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत नौकरियां नारियों के लिये आरक्षित हों। अत: कुल सरकारी नौकरियों में 25 प्रतिशत अजा, अजजा तथा अन्य पिछड़ी जाति तथा 25% सवर्ण गरीब महिलाओं के लिये आरक्षण हो।

(झ) **नैतिक भ्रष्टाचार कम करने के उपाय:** नर नारी का नैसर्गिक आकर्षण प्रकृति ने काम सुख प्राप्ति हेतु नहीं, वरन् समाज को योग्य सन्तान देने हेतु बनाया है। इस सत्य का प्रभावी तरीके से प्रचार किया जायेगा। अश्लील साहित्य एवं फिल्मों पर रोक लगाई जायेगी तथा अन्य कड़े उपाय काम में लिये जायेंगे। लड़कियों को आत्म रक्षा हेतु जूडो कराटे कुंगफू आदि का प्रशिकक्षण दिया जाऐगा।

(ञ) **माताओं के प्राकृतिक विशेषाधिकार:** परिवर्तन का मानना है कि बच्चे समाज का भविष्य हैं। समाज का यह भविष्य मां की गोद में समाज की धरोहर के रूप में रहता है। इसे संभालने, उत्तम संस्कार देने तथा संवारने का विशेष दायित्व माताओं द्वारा पूरा किया जाता है। इस दायित्व को वे भली प्रकार पूरा कर सकें, इसलिये गर्भ में आने से लेकर, बच्चे के वयस्क होने तक माताओं को निम्र प्राकृतिक विशेषाधिकार दिये जायेंगे।

1. उन्हें आधे समय कार्य करने पर पूरा वेतन दिया जायेगा।
2. पति पत्नी में से किसी एक का यदि स्थानान्तरण होता है तो दूसरे को भी उस स्थान पर स्थानान्तरित करके आजीविका के साधन दिये जायेंगे।
3. उनके कार्य का समय केवल दिन में ही होगा। सायंकालीन या रात्रि कालीन सेवाओं से उन्हें मुक्त रखा जायेगा।
4. बच्चों के साथ यात्रा के दौरान उन्हें स्थान आरक्षित कराने का प्रथम अधिकार होगा।
5. उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, खाद्य पदार्थ उद्योग, हस्त उद्योग, कला एवं शिल्प के क्षेत्रों में कार्य करने के लिये प्रशिक्षण एवं विशेष सुविधाएं दी जावेंगी, ताकि वे यथा सम्भव घर या घर के पास ही कार्य करके धन कमा सकें।
6. व्यापार तथा उद्योग में महिलाओं की शारीरिक क्षमता के अनुरूप

कार्य दिया जायेगा, ताकि कोई महिला बेरोजगार न रहे।

7. तलाक या अलग होने से पहिले प्रत्येक बच्चे को उत्तराधिकार के रूप में एक किलो सोने के मूल्य के बराबर सम्पत्ति तुरन्त देय होगी। वें वयस्क होने तक माता के संरक्षण में रहेंगे।
8. यदि कोई माता इन अधिकारों का दुरुपयोग करके बच्चों का पालन पोषण ठीक से न करे तो उसके ये अधिकार समाप्त कर दिये जायेंगे।

(ट) **आबादी का विकेन्द्रीकरण:** दार्शनिक प्लेटों के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों में कानून एवं व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल पाती अत: कृषि के लिये अनुपयोगी एवं बंजर जमीनों पर समाज प्रस्थियों द्वारा उद्योग खोलकर, उद्योग ग्राम एवं विद्यालय खेलकर विद्या ग्राम बसाये जायेंगे। इनमें सभी आधुनिक सुविधाएं दी जायेंगी ताकि नागरिक वहां रहने के लिये प्रेरित हों इन ग्रामों की जनसंख्या अधिकतम 1000 रहेगी। जिस क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध है उसके निकटतम रेलवे स्टेशन या लाइन के समीप उद्योग ग्राम खोले जायेंगे ताकि परिवहन पर खर्च कम हो।

(ठ) **शराबबन्दी एवं गौहत्या:** इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की समिति तुरन्त बनाई जायेगी, जो 3 माह के अन्दर अपनी पूरी रिपोर्ट देगी। उसे प्रकाशित कराया जायेगा तथा जनमत संग्रह द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

ग. वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था का सही चित्रण:-

1835 के बाद महत्वपूर्ण राजनैतिक घटनाएं भारत की प्राचीन व्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा परिवर्तन

लोर्ड मैकाले की भारत पर प्रभुत्व जमाने हेतु दुष्ट नीति

लोर्ड मैकाले ने 2 फरवारी 1835 को अंग्रेजों की संसद में भाषण देते हुए कहा ''मैं पूरे भारत में पूरब से पश्चिम और उत्तरी से दक्षिण तक घूम कर आया हूँ। वहाँ मुझे एक भी भिखारी या चोर नहीं मिला। वहाँ जनता में इतनी सम्पन्नता, इतना सदाचार और इतनी योग्यताऐं हैं कि हम अंग्रेज लोग भारत को सीधी लड़ाई में कभी भी नहीं जीत सकते। पर यदि हम, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत जो कि उसकी असली ताकत है, को तोड़ दें तो हमें सफलता मिल सकती है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम भारत की प्रचीन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को बदल कर यह शिक्षा उन्हें दें कि जो कुछ भी विदेशी तथा अंग्रेजों का है वह अच्छा है, और महान है तो उनका आत्म गौरव और संस्कृति नष्ट हो जाएगी और भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व जम कर हमेशा के लिए रह जाएगा।''

लोर्ड मेकाले की नीति का क्रियान्वयन के फल स्वरूप 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता युद्ध हुआ

अंग्रेजों की संसद ने लोर्ड मैकाले का दृष्ट प्रस्ताव अपने लाभ के मद्देनज़र

स्वीकार कर लिया और इसे लागू करने के लिए सही समय का इन्तजार करने लगी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने 1840 में सिक्ख साम्राज्य को जीत कर पंजाब, सिन्ध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1841 में गर्वनर जरनल ने अफगानिस्तान को जीतने के लिए 20,000 केवल गोरे सिपाहियों की फौज भेजी। 13 फरवरी 1842 को काबुल में एक दुभाषिये को छोड़ कर, अफगान सेनाओं ने पूरी अंग्रेजी फौजी को कत्ल कर दिया। उन्होंने उस दुभाषिए के माध्यम से गर्वनर जरनल को संदेश भेजा कि दुबारा से यदि अफगानिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई तो एक हमलावर भी जिन्दा नहीं बचेगा। इस लड़ाई में ईस्ट इन्डिया कम्पनी को 1500 बिलियन पाउन्ड की हानि भी हुई और कम्पनी दिवालिया होने की हालत में आ गई।

कम्पनी ने भारत से अपना कारोबार समेट कर वापस इंग्लैण्ड लौटने की तैयारी करने लगी तभी किसी भारतीय देशद्रोही ने उन्हें भेद दिया कि आप लोग बेकार में ही बादशाहों, नवाबों और राजाओं को लूटने में अपना समय खराब कर रहे हैं। भारत का अथाह धन तो गाँवों में ग्राम सभा के पास है।

यह खबर पाते ही उन्होंने 1842 में राजस्व को इकट्ठा करने का काम ग्राम सभाओं से छीन कर अपने नऐ नियुक्त कर्मचारी को दे दिया जिसे उन्होंने कलक्टर का नाम दिया। कलक्टर ने अपने काम में सहयोग लेने हेतु पटवारी, थानेदार और जज बनवाऐ फिर उन्होंने जनता के बीच धर्म, जाति, प्रान्त, भाषा आदि के आधार पर 'फूट डालो और राज करो'' की नीति अपना कर भारत की लूट शुरू कराई जो आज तक जारी है। इसी लूट के विरोध में 1857 में भारत की आम जनता ने हथियार उठाए थे। परन्तु दुर्भाग्यवश उसे कुछ भारतीय गद्दारों की सहायता से बुरी तरह कुचल दिया गया। परन्तु यह 1857 से शुरू यह लड़ाई 31 अगस्त 1952 तक आजाद भारत (1947) में भी चलती रही क्योंकि इस दिन अपराधी एक्ट, जनजाति एक्ट 1924 (1860-1924) हटाया गया आदि।

आजादी का छलावा

15 अगस्त, 1947 में भारत को पूरी राजनैतिक आजादी नहीं मिली। उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने न केवल धर्म के आधार पर देश का बंटवारा स्वीकार किया वरन् अंग्रेजों से यह लिखित करार भी किया कि वे अंग्रेजी कानून और परम्पराओं को जारी रखेंगे। हम मांग करते हैं कि सरकार इस विषय पर श्वेत पत्र जारी करे।

महात्मा गांधी भारत के विभाजन के घोर विरोधी थे। अन्य नेता भी दिल से यही चाहते थे। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने तो, कांग्रेस की इस सम्बन्ध में हुई अन्तिम सभा में, अन्त तक विभाजन का घोर विरोध किया था। पर आजादी किसी भी कीमत पर मिल जाय अन्य नेता यह सोचकर विभाजन पर सहमत हुए। आजादी के बाद राजनैतिक व्यवस्था के क्षेत्र में महात्मा गांधी राम राज्य (पंचायत राज तथा विकेन्द्रीकरण) चाहते थे। सुभाषचन्द्र बोस, आजादी के पहिले 40 सालों तक (जब तक जनता लोकतंत्र को चलाने हेतु नैतिक रूप से सक्षम न हो जाय) अधिनायकवादी राजनैतिक व्यवस्था के पक्षधर थे। विभाजन के पहिले तक पं. जवाहर लाल नेहरू भी लोकतंत्र के विरोधी थे। 1940 में उनके द्वारा लोकतंत्र के विरोध में लिखा गया लेख इसका प्रमाण है।

अत: यह घोर आश्चर्य की बात है कि जब हमारे नेता भारत का विभाजन तथा भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं चाहते थे तो यह क्यों हुआ। सत्य तो यह है कि भारत को राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आज़ादी कभी मिली ही नहीं।

आजकल जिसे जनता आज़ादी के नाम से जानती है, वह वास्तव में तथा लिखित में दस्तावेजों के अनुसार भी केवल सत्ता का हस्तान्तरण (Transfer of Power) मात्र है। अंग्रेजों ने भारत पर ''फूट डालो और राज करो'' की नीति के आधार पर राज किया और सत्ता का हस्तान्तरण भी उसी आधार पर कर गये। सत्ता के हस्तान्तरण की अलिखित गुप्त शर्त, विभाजन और प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था स्वीकार करना थी। जिसके प्रमाण निम्न हैं:-

1. 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अखण्ड भारत से अफगानिस्तान, श्री लंका तथा बर्मा को राजनैतिक तौर पर अलग करके भारत से अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। फिर उन्हें अलग देश बना दिया गया।
2. 1947 में भारत तथा पाकिस्तान बना दिया गया। पाकिस्तान से भी अलग होकर बंगला देश बना और अब भारत भी खण्डित होने की प्रक्रियासे गुजर रहा है।
3. तथाकथित ''स्वतंत्र'' भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत को लम्बे समय तक गुलामी में जकड़े रखनेवाली, तथा भारतीय जनता पर भयंकर अत्याचार करनेवाली, आर्थिक लूट से दिवालिया बना देने वाली ब्रिटिश सरकार ने प्रतिनिधि, लार्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया। जो भारत का नागरिक ही नहीं था उसकी सलाह पर अल्पमत (11%) मत वाली संविधान सभा बनी, जिसमें उसकी मन-मर्जी के सदस्य नियुक्त किये गये तथा उन्होंने राजनैतिक चालाकी से भारत पर प्रतिनिधि लोकतंत्र लाद दिया। इस संविधान का कभी भी जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदन नहीं हुआ। अत: इसकी वैधता ही संदिग्ध है।
4. प्रतिनिधि लोकतंत्र वास्तव में धनतंत्र होता है। जिसमें केवल पूंजीपतियों को ही सत्ता का लाभ मिलता है। सुकरात तथा विश्व के अन्य श्रेष्ठ दार्शनिकों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र का घोर विरोध किया है। चाणक्य भी, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ हुआ है भी प्रतिनिधि लोकतंत्र का बिरोधी था। उसके समय में भारत में अनेकों जनपदों में प्रतिनिधि लोकतंत्र थे जो अव्यावहारिक एवं अनुपयोगी होने के कारण धराशायी हो गये।
5. अंग्रेज भारत में राज करने नहीं केवल व्यापार द्वारा धन कमाने आये थे, जब राजाओं ने उनके आर्थिक शोषण का विरोध किया तो उन्होंने, धूर्ततापूर्ण तरीकों से, देश को गुलाम बना लिया। और हमार धन यहां से कई तरीकों से ले जाते रहे। 1947 में वे हमारे नेताओं को, जल्दी आजादी देने के लोभ व दबाव में लाकर, मूर्ख बनाने में सफल हो गये तो उन्होंने ''सत्ता हस्तांतरण'' कर दिया और अब वे तथा 7 बड़े पूंजीपति देश भारत

के पूंजीपतियों को माध्यम बनाकर, देश का धन विदेश ले जा रहे हैं। इस धन का थोड़ा सा अंश भारत के नेताओं, नौकरशाहों तथा पूंजीपतियों को भी इस दलाली के रूप में मिल जाता है जिससे वे अपने इस उद्यम पर प्रसन्न हैं। इंगलैण्ड में ट्रफालगर स्क्वायर स्थित ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि जितना धन अंग्रेज 1947 से पहिले 200 वर्षों में भारत से ले गये, उससे ज्यादा धन, अब 1947 से 1969 तक ले जा चुके हैं। अतः उनका मूल उद्देश्य ''भारत का शोषण'' अब और भी जोर से हो रहा है परन्तु इस पर कोई शोर नहीं हो रहा है।

परिवर्तन अधिनायकवाद अथवा राजतंत्र का पक्षधर नहीं है। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र में मौलिक सुधार चाहता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप सही मायने में जनता राज कर सके। तथा भारत वास्तव में राजनैतिक, वैचारिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने स्वदेशी तथा विदेशी कर्जे चुका सके। इसी सुधरे हुये, प्रगतिशील, वास्तविक, प्रत्यक्ष एवं सहभागी लोकतंत्र को हमने ''योग्यतंत्र'' का नाम दिया है। जिसमें राज करने योग्य व्यक्ति ही शासन कर सकेंगे।

घ. **प्रकृतिवादी राजनैतिक व्यवस्थाः**

(क) **प्रगतिशील वास्तविक लोकतंत्र अर्थात प्रत्यक्ष एवं सहभागी लोकतन्त्र (योग्यतंत्र) द्वारा आन्तरिक राजनीति में सुधारः-**

1. परिवर्तन बहुदलीय संसदीय प्रगतिशील वास्तविक लोकतंत्र अर्थात प्रत्यक्ष एवं सहभागी लोकतन्त्र (योग्यतन्त्र) का समर्थक है। और यह मानता है कि प्रत्येक समाचार पत्र एवं नागरिक को अपने विचार निर्भयता से प्रगट करनें का मौलिक अधिकार है।

   इस प्रकार राजनैतिक ''व्यवस्था परिवर्तन'' यानि वर्तमान समय के प्रतिनिधि लोकतन्त्र के स्थान पर प्रत्यक्ष एवं सहभागी लोकतन्त्र को संविधान में संशोधन करके ही भारत के सभी नागरिक देश के विकास में भागीदारी कर सकते हैं।

2. **प्रत्यक्ष एवं सहभागी लोकतंत्रः** नगर निगम, नगर परिषद तथा पंचायतों के चुनाव निर्दलीय आधार पर होंगे। महात्मा गांधी के सपनों का पंचायती राज तथा डॉ. राममनोहर लोहिया के चौखम्बा राज की कल्पना को साकार किया जाएगा। ऐसा लोकतंत्र 1842 तक भारत में था। जिसे ईस्ट इन्डिया कंपनी ने नष्ट कर दिया था। ऐसा लोकतंत्र आज भी स्विटजरलैन्ड, स्वीड़न, नार्वे तथा फिनलेन्ड में प्रचालित है इसी के कारण वहां के नागरिक अमरीका के नागरिकों से भी ज्यादा सम्पन्न एवं सुखी हैं। परिवर्तन सभी नागरिकों को मतदान की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों की संख्या परिवर्तन दो गुनी बढ़ायेगी। महिलाओं के लिये मतदान केन्द्र अलग बनाये जावेंगे ताकि वे सुरक्षा के वातावरण में मतदान कर

सकें। उच्चतम न्यायालय में इस सम्बन्ध में याचिका दायर की जायेगी।

3. **कड़े कानूनः** परिवार नियोजन के कानून को न मानने वाले, दिवलिया, पागल, आतंवादी, हिंसक अपराधी, बलात्कारी, देशद्रोही, एवं संक्रामक यौन रोगियों के समस्त नागरिक अधिकारों को निलम्बित कर दिया जायेगा। अतः उन्हें वोट देने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। जब ये कानूनी प्रक्रिया द्वारा पुनः नागरिक अधिकार प्राप्त कर लेंगे तभी वे वोट दे सकेंगे तथा चुनाव लड़ सकेंगे।

4. **''फूड डालो और राज करो''** की राजनीति को तिलान्जतिः अंग्रेजों तथा तथाकथित 1947 की आजादी के बाद भारत पर शासन करने वालों ने ''फूट डालो और राज करो'' की नीति के आधार पर राज किया है। पर परिवर्तन एक राष्ट्र एक प्राण का सिद्धान्त मानता है। अतः जो दल धर्म, जाति, वर्ग, प्रान्त, भाषा आदि के आधार पर वोट मांगेंगे, उन्हें भंग कर दिया जायेगा। सभी सरकारी कार्यों तथा चुनावी कागजों, में इनका उल्लेख नहीं हो सकेगा। सभी को समान अवसर तथा किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलने के आधार पर राजनैतिक कार्य किये जायेंगे। केवल प्रकृतिवादी सामाजिक व्यवस्थां के अन्तर्गत पृष्ठ 14 धारा उस ञ के अनुसार माताओं को बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने हेतु विशेषाधिकार दिये जायेंगे।

5. **प्रभावी एवं निष्पक्ष चुनावी तन्त्रः** चुनाव आयोग में सभी दलों का उनके प्राप्त मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व रहेगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु व्यापक अधिकार दिए जायेंगे ताकि चुनाव में धन तथा बल का दखल समाप्त हो लोकसभा के चुनावों के साथ ही विधान सभाओं, नगर निगम, नगर परिषद, तथा पंचायतों के चुनाव कराये जावेंगे। एक चुनाव में, एक व्यक्ति, केवल एक क्षेत्र तथा एक ही स्तर के चुनाव का प्रत्याशी हो सकेगा। जो व्यक्ति, पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद से चुना गया हो, वह ही विधान सभा का चुनाव लड़ सकेगा। इसी प्रकार विधान सभा से चुना हुआ व्यक्ति ही संसद का चुनाव लड़ सकेगा। स्थानीय चुनाव निंदलीय आधार पर होंगे।

6. **योग्यतान्त्रिक मत व्यवस्थाः** परिवर्तन का मानना है कि हर नागरिक की मत शक्ति तो होनी चाहिये परन्तु यह उसकी राजनैतिक योग्यता के आधार पर बढ़नी भी चाहिये। इसके अनुसार हर नागरिक को परिचय पत्र दिया जायेगा। जिसमें उसका फोटो भी रहेगा। 18 वर्ष की उम्र वाले नागरिक की ''मत शक्ति'' एक होगी। इसके बाद प्रत्येक बार लोकसभा के मतदान में भाग लेने पर उसकी मंत शक्ति में एक मत की वृद्धि हो जायेगी। उसकी मतशक्ति का इन्द्राज उसके परिचय पत्र में तथा चुनाव आयोग के रिकार्ड में भी रहेगा इसके अलावा नागरिक की राजनैतिक

योग्यता के आधार पर मतशक्ति बढ़ाने के अन्य आधार भी राष्ट्रीय बहस चलाकर तथा जनमत संग्रह कराकर तय किये जायेंगे।

7. **भ्रष्ट तथा निकम्मे जन प्रतिनिधि को वापस बुलाने का जन अधिकार:** यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाये अथवा अयोग्य या भ्रष्ट पाया जाय और उसके विरोध में, उसके क्षेत्र के जितने मतदाताओं ने उसे वोट दिया था उतने मतदाताओं द्वारा यदि चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जाय तो उस क्षेत्र में दुबारा चुनाव कराया जायेगा। इस चुनाव का प्रशासनिक खर्च उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
8. **महिलाओं को राजनैतिक न्याय:** महिलाएं पुरुष समान नहीं वरन् एक दूसरे के पूरक है। जो समान नहीं हैं उनमें प्रतिद्वन्द्विता नहीं हो सकती। समाज में 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है अत: सभी चुनावी पदों के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये जावेंगे हर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा पंचायत में महिला मतदाता महिला प्रत्याशी को चुनेगी और पुरुष मतदाता पुरुष प्रत्याशी को चुनेंगे।
9. **छोटे स्वायत्तशासी राज्यों का पुर्नगठन:** परिवर्तन छोटे राज्यों की पक्षधर है। जो आर्थिक रूप से स्वावलंबी, स्वायत्तशासी, एवं समरस हों। राज्यों का पुर्नगठन स्पष्ट रूप से परिभाषित, संस्कृतिक एवं समान आर्थिक संसाधन के आधार पर होना चाहिए। किसी भी राज्य की जनसंख्या तीन करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. **प्रत्याशियों को सरकार द्वारा चुनावी खर्च में सहायता:** सुस्पष्ट राजनैतिक विचारधारा पर आधारित राजनैतिक दल, जिनमें उनके संविधान के अनुसार नियमित रूप से, निष्पक्ष चुनाव होते हों, ही आम चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े कर सकेंगे। ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का पूरा खर्च चुनाव आयोग द्वारा दिया जाएगा।
11. **राजनैतिक भ्रष्टाचार की समाप्ति:** राजनैतिक दल, केवल राजनैतिक कार्यों हेतु, जनता से धन अकाउन्ट पेई चैक द्वारा ही ले सकेंगे। उन्हें अपने खर्चे का नियमित लेखा कराना अनिवार्य होगा।

ख. **विदेश नीति:-**

1. **विश्व व्यापार संगठन (WTO) की सदस्यता के रहते हुये राष्ट्रीय हितों की रक्षा:** परिवर्तन विश्व व्यापार संगठन (WTO) पर हमें इसमें रहते हुये न्यायपूर्ण, विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माण हेतु, हर सम्भव व्यापारिक प्रतिद्वन्दिता के लिये तैयार रहना होगा। परिवर्तन भूतकाल में किये गये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक अनुबन्धों में छानबीन करके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगी।
2. **अनाक्रमण सन्धि:** परिवर्तन ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाऐं बनाऐगी

जिसके क्रिया कलापों में राजनीतिज्ञों का दखलन्दाजी नहीं होगी। ये संस्थाऐं सभी देशों से, विशेषकर पड़ौसी देशों से पूरक अर्थ व्यवस्था एवं संयुक्त उद्यमों तथा विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधा के आदान प्रदान के आधार पर मधुर राजनैतिक सम्बन्ध बनाने का प्रयास करेंगी। परिवर्तन सभी देशों से अनाक्रमण संधि करके अपना तथा उनका सैनिक बजट घटायेगी।

3. **चाणक्य की राजनीतिः** द्विपक्षीय सम्बन्धों का आधार यथा योग्य अर्थात् जैसे को तैसा का सिद्धान्त रहेगा। विदेश नीति का आधार चाणाक्य का ''मण्डल'' सिद्धान्त रहेगा।
4. **ऐशिया के देशों का एकीकरणः** ऐशिया का राजनैतिक विभाजन, अप्राकृतिक एवं गलत है। परिवर्तन इसको एशिया की समस्याओं का मूल कारण मानता है। परिवर्तन का राजनयिक प्रयास रहेगा कि एशिया के देशों का एक राष्ट्र बने। इसमें एशिया के समस्त देशों, जापान तथा आस्ट्रेलिया को शामिल इसे United Nations of Asia कहा जाएगा।
5. **प्रवासी भारतीयों को अभय देनाः** प्रवासी भारतीयों को चाहिये कि जिस देश में वे रहते हैं, उस देश के विधान के अनुसार कार्य करें। पर रंग भेद या नस्ल भेद के आधार पर उनका उत्पीड़न होने पर प्रतिकार किया जावेगा। और उनकी रक्षा की जावेगी। प्रवासी भारतीयों को भारत में उद्योग लगाने के लिये विशेष सुविधाएं प्रदान की जावेंगी। जिन राष्ट्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है जैसे, दक्षिण अमरीका तथा अफ्रीका के सभी देश, कनाडा, रूस मंगोलिया तथा आस्ट्रेलिया आदि, उनसे समझौता करके प्रशिक्षित नवयुवकों, नव युवतियों को वहां खेती के लिए जमीन तथा रोजगार दिलाकर बसाया जावेगा।
6. **विदेश यात्रा में आजादीः** पासपोर्ट बनवाने से पूर्व भारतीय नागरिकों को उन देशों की सामान्य आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा जहां वे जाना चाहते हैं। यदि वे अपराधिक तथा आतंकवादी गतिविधियों में निप्त नहीं है तो इसके अलावा उनहें सम्बन्धित देश का वीसा प्राप्त होने पर विदेश जाने से अन्य किसी आधार पर नहीं रोका जाएगा।

ग. **सुरक्षा नीतिः-**

1. **रक्षा उत्पादन का निजीकरणः** आधुनिक रक्षा उपकरणों के अनुसंधान एवं उत्पादन को निजी क्षेत्र को सोंप दिया जाएगा। इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता से अधिक उत्पादन को मित्र देशों को निर्यात किया जायेगा। ताकि आधुनिकतम रक्षा उपकरणों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो सके। विदेशों से इन्हें खरीदने पर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई दलाली न ले सके।

2. तृतीय रक्षा पंक्ति की रचना: देश के सभी युवकों / युवतियों को एन. सी.सी. (N.C.C.) यानि (National Cadet Corps) का चार वर्ष का प्रशिक्षण शिक्षा के दौरान लेना अनिवार्य होगा। इसमें उन्हें हिंसक अपराधियों तथा आतंकवादियों को मारने, साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने, प्राकृतिक आपदाओं (आगजनी, तूफान, भूकम्प, अकाल एवं बाढ़ आदि) में जन सेवा करने, प्राथमिक चिकित्सा करने तथा देश पर हमला होने की स्थिति में सेना को सहयोग देने एवं देश की तृतीय रक्षा पंक्ति बनने का पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. सेना में हल्के शारिरिक श्रम के कार्यों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

धारा 4

राजनैतिक नीतिः-

1. सत्ता में आने पर सम्भावित संघर्ष के क्षेत्रः-

लक्ष्य प्राप्ति हेतु महात्मा गांधी जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया के संघर्ष के तरीके एवं आन्दोलन का मार्ग अपनाया जायेगा। बहुदलीय संसदीय लोकतंत्रीय चुनाव व्यवस्था में चुनाव जीतकर सभी को साथ लेकर सरकार बनाई जायेगी। पर यदि वैध तरीके से चुनाव जीतने पर भी यथा स्थितिवादियों द्वारा परिवर्तन को सत्ता नहीं सौंपी गई तो फिर जन आक्रोश और आन्तरिक विद्रोह के लिये परिवर्तन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा।

2. कूटनीतिः-

परिवर्तन जानता है कि समाज में यथास्थितिवादी शक्तियां, तब तक ही लोकतंत्र का समर्थन करती हैं जब तक वे स्वयं लोकतंत्रीय भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा शासन कर सकें। ज्यों ही वे चुनाव में हारने का संकेत पाती हैं, तथा किसी वास्तविक प्रगतिशील राजनैतिक दल के, चुनाव में जीतकर सत्तारूढ़ होने की सम्भावना पाती हैं, तब वे लोकतंत्री प्रणाली को धता बताकर यह प्रचारित एवं प्रमाणित करने का प्रयास करती हैं कि उन्होंने ऐसा (लोकतंत्र की हत्या) देश की रक्षा, सुरक्षा, एकता एवं अखण्डता के लिये किया। परिवर्तन को यथा स्थितिवादी शक्तियों द्वारा अपने निश्चित स्वार्थ पूरे न होने पर, लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी कार्यनीति की जानकारी है। समय आने पर इससे आचार्य चाणक्य द्वारा प्रतिपादित कूटनीति द्वारा निपटा जाएगा।

3. राजनैतिक सहयोगः-

परिवर्तन की विचारधारा अध्यात्म पर आधारित है। जबकि वर्तमान समय में अधिकांश राजनैतिक दल भौतिकता से ग्रस्त हैं। अतः इनसे कोई तालमेल, विलय वार्ता, संयुक्त मोर्चा आदि का प्रश्न ही नहीं है। ये भौतिक वादी दल प्रारम्भ में परिवर्तन को महत्व ही नहीं देंगे, फिर इसके सिद्धान्तों का खंडन करेंगे, फिर परिवर्तन से संघर्ष करेंगे, पराजित होने के बाद घृणा करेंगे और अन्त में इसके सिद्धान्तों की नकल करके उनके प्रवक्ता बनने का ढोंग करेंगे। जनता तथा परिवर्तन के सभी सदस्यों को इनसे हमेशा सावधान रहना है। भविष्य में इनमें से किसी दल या किसी नये दल ने आध्यात्मिकता को आधार मानने

वाली पार्टी को अपने लक्ष्य एवं चुनाव घोषणा से स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि वे परिवर्तन द्वारा प्रतिपादित, भारतीय समाजवादी आर्थिक व्यवस्था एवं योग्यतान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्था के पूर्ण समर्थक हैं तथा सत्ता में आने पर इसमें बिना कोई परिवर्तन किऐं इसे तुरन्त लागू करेंगे उनकी अन्य नीतियाँ परिवर्तन से भिन्न हो सकती हैं।

जनविरोधी आर्थिक नीतियों को बदलने और विदेशी ताकतों के दबाव से स्वतन्त्र विदेश एवं रक्षा नीति लागू करने के लिए सभी पार्टियों और कौमों से आऐ लोगों को **''व्यवस्था परिवर्तन''** में लाना हमारा लक्ष्य है।

4. **प्रचार-**

परिवर्तन की विचारधारा प्रगतिशील है। अतः इसके प्रचार का विशेष प्रबन्ध विद्यार्थियों तथा विद्यार्थी प्रवृति के जन सामान्य में किया जाना चाहिये। इसके बाद भी परिवर्तन के सदस्यों के पास यदि समय एवं शक्ति हो तब ही इसका प्रचार जन सामान्य में करना चाहिये। विद्यार्थियों में इसका प्रचार होने पर स्वतः ही इसका प्रचार समाज में हो जायेगा।

5. **प्रशिक्षणः-**

परिवर्तन से जुड़ने वाले महत्वाकांक्षी सदस्यों को धारा 10 में वर्णित पुस्तकों का बार बार अध्ययन, मनन, अनुशीलन एवं स्वाध्याय करना चाहिये। इससे वे परिवर्तन को सैद्धान्तिक सर्वोच्चता तथा इसके विरोधियों की सैद्धान्तिक कमजोरियों को भली प्रकार समझ सकेंगे। उन्हें परिवर्तन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिये।

धारा 5

आदर्शः-

परिवर्तन के आदर्श मानव समाज के गुरू दार्शनिक, ऋषि, महर्षि, चिन्तक, एवं युग दृष्टा हैं। जिन्होंने मानव जाति के इतिहास में ''समान अवसर'' के दर्शन के विकास में मौलिक योगदान किया है। इसमें से प्रमुख निम्न हैं:-

1. वृहस्पति	2. शुक्राचार्य	3. वाल्मीकि
4. बदरायण	5. सुकरात	6. प्लेटो
7. अरस्तू	8. कन्फ्यूसियस	9. चाणक्य
10. शंकराचार्य	11. फ्रेडरिक नोत्से	12. कार्ल मार्क्स
13. कबीर	14. दयानन्द	15. महात्मा गांधी
16. सुभाष चन्द्र बोस	17. राममनोहर लोहिया	18. दीनदयाल उपाध्याय
19. चौधरी चरण सिंह	20. भीमराव अम्बेड़कर	

धारा 7

झंडा:-

यह किसी भी पदार्थ का बनाया जा सकता है। इसकी भुजाओं की लम्बाई व चौड़ाई 2:3 के अनुपात में होगी। झण्डे में निम्न तीन रंग होंगे। प्रत्येक रंग 1/3 क्षेत्र की पट्टी में होगा।

तीन फीट चौड़ाई

दो फीट लम्बाई

भगवा
सफेद
हरा

चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह के लिये आवेदन किया जाएगा। आवंटित होने पर इसे झन्डे के बीच में सफेद रंग के मध्य में अंकित किया जायेगा।

धारा - 8

संगठनात्मक ढांचा:-

परिवर्तन का ढांचा प्रगतिशील वास्तविक लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के सही आधार पर बना है। इसके अन्तर्गत कोई भी भारतीय नागरिक अपनी राजनैतिक योग्यतानुसार परिवर्तन के साथ किसी भी स्तर से जुड़ सकता है। परिवर्तन के सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, सक्रिय सदस्य, कार्यकर्ता, समाज सेवी, एवं समाजप्रस्थी अपने राजनैतिक ज्ञान, कर्म एवं ''राजनैतिक व्यक्तित्व'' के आधार पर परिवर्तन में अपनी मत शक्ति एक से प्रारम्भ करके परिवर्तन के विधान के अनुसार 50,000 तक स्वत: ही बढ़ा सकेंगे ''व्यक्तित्व'' मानव का वह प्रभा मंडल है, जिसका निर्माण उसकी जन्मजात प्रतिभा, शिक्षा, योग्यता, कर्मठता, लगन, बुद्धि, अन्य मानवीय गुणों व आध्यात्मिक शक्ति द्वारा होता है। ''राजनैतिक व्यक्तित्व'' राजनैतिक कार्यकर्ता का वह प्रभा मंडल है जिसके प्रभाव से वह जनता को अपनी विचारधारा से प्रभावित करके उनका नेतृत्व हासिल करके चुनाव में बहुमत द्वारा चुनाव जीत सके। इसका विकास एवं आंकलन करने का विवरण विस्तार से धारा 10 में दिया गया है।

प्रकृतिवादी सामाजिक व्यवस्था पृष्ठ 14 (छ) के अनुसार नर व नारी समान नहीं वरन् एक दूसरे के पूरक हैं अत: उनकी आपसी प्रतिर्स्पधा अनैतिक एवं गलत है। अत: परिवर्तन को निम्न सभी अंग एवं क्षेत्रों में महिला तथा पुरूष परिवर्तन स्वतन्त्र रूप से काम करेंगे। केवल राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आन्दोलनों के दौरान उनकी समन्वय समिति बनाकर संघर्ष किया जाऐगा तथा चुनावों की घोषणा होते ही उनकी सयुक्त सभाऐं हुआ करेंगी और वे मिल का चुनाव जीतने के लिये कार्य करेंगे।

धारा - 9

परिवर्तन के अंग एवं क्षेत्र-

क. परिवर्तन के निम्न अंग होंगे:

1. अखिल भारतीय परिवर्तन
   - क - मंत्रिमण्डल
   - ख - सचिवालय
   - ग - राज्य सभा
   - घ - लोकसभा
2. प्रदेश परिवर्तन
   - क - मंत्रिमण्डल
   - ख - सचिवालय
   - ग - विधान परिषद्
   - घ - विधानसभा
3. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन-
   - क - कार्यकारिणी
   - ख - सचिवालय
   - ग - जनसभा
4. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन-
   - क - कार्यकारिणी
   - ख - सचिवालय
   - ग - क्षेत्रसभा
5. पंचायत/वार्ड निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन-
   - क - कार्यकारिणी
   - ख - सेवा केन्द्र
   - ग - (वार्ड/ग्राम सभा) स्थानीय सभा

ख. परिवर्तन के अंगों का क्षेत्रः-

1. परिवर्तन के अंगों का क्षेत्र चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित, चुनाव क्षेत्र के अनुसार होगा। चुनाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सरकारी घोषणा होने के 7 दिन के अन्दर ही संगठनात्मक ढांचे को उस क्षेत्र के अनुसार बदल दिया जाएगा।
2. भारतीय मुख्यालय नई-दिल्ली तथा प्रदेश परिवर्तन का मुख्यालय, सम्बन्धित प्रदेशों की राजधानी में रहेगा।
3. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन व उससे निचले स्तर के परिवर्तन का मुख्यालय उसके निर्वाचित अध्यक्षों द्वारा तय किया जायेगा।

धारा - 10

परिवर्तन से जुड़ने के स्तर, विधि, अध्यक्ष का निर्वाचन एवं कार्यकाल, सदस्य बनने के नियम, योग्यता एवं कर्तव्य द्वारा मत शक्ति में वृद्धि तथा अधिकारों को प्राप्ति

क. परिवर्तन से जुड़ने के निम्न स्तर हैं:

1. साधारण सदस्य	2. वरिष्ठ सदस्य	3. सक्रिय सदस्य
4. कार्यकर्ता	5. समाजसेवी	6. समाज प्रस्थी
7. समर्थक	8. सहयोगी	9. सहभागी
10. प्रचारक	11. संरक्षक	12. आजीवन सदस्य

इन सभी को भारतीय परिवर्तन सचिवालय द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र, बिल्ले

गुप्त कोड़ तथा अन्य चिन्ह दिये जावेंगे ताकि अनधिकृत व्यक्ति कार्यालय या सभा में प्रवेश न कर सकें।

ख. विधि, अध्यक्ष का निर्वाचन एवं कार्यकाल:

सदस्यता अभियान निरन्तर चलना रहेगा। किसी भी वर्ष में 15 अगस्त तक बने सदस्यों के, तथा उसके आधार पर बने, उच्च स्तर के सदस्यों को सदस्यता अवधि, अगले 15 अगस्त तक होगी। उस सदस्यता का 15 अगस्त से पूर्व नवीनीकरण कराने से ही, सदस्यता एवं परिवर्तन से जुड़े होने का उनका वह स्तर जारी रह सकेगा अतः नवीनीकरण प्रतिवर्ष समय पर करना आवश्यक होगा। क्षेत्र का सबसे अधिक मत शक्ति वाला व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी बनेगा। सितम्बर माह के प्रथम रविवार को वार्ड ग्राम सभा निर्वाचन क्षेत्र, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सभा, तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जन सभा के, अध्यक्षों के लिए मतदान होगा तथा प्रदेश परिवर्तन विधान परिषद के अध्यक्षों का चुनाव होगा। सितम्बर माह के अन्त एक संगठन के शेष चुनाव संविधान के अनुसार करा लिये जावेंगे। मतदान गुप्त होगा। जो सदस्य जिस क्षेत्र में रहते हैं, वे उसी क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति रहकर ही चुनाव में भाग ले सकेंगे। 15 अगस्त को पुराने सभी अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा पर नये अध्यक्ष के निर्वाचन तक वे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। नया अध्यक्ष, निर्वाचित होने के सात दिन के अन्दर अपने विश्वसनीय, आज्ञाकारी, राजनैतिक कार्यों में योग्य तथा मनोनुकूल रहने वाले सदस्यों को साथ लेकर कार्यकारिणी की घोषणा करेगा। कार्यकारिणी में एक वकील, एक सेवानिवृत पुलिस अधिकारी, सेवा निवृत सैनिक, तथा सेवा निवृत प्रशासनिक अधिकारी होना आवश्यक है। नया अध्यक्ष कार्यकारिणी की घोषणा के अगले दिन, कार्यकारिणी के साथ, परिवर्तन को शीघ्रातिशीघ्र सत्ता में लाने तथा उसे निरंतर सत्ता में बनाये रखने की शपथ ग्रहण करके कार्यभार सम्भाल लेगा तथा इसकी सूचना अपने से उपर के स्तर के अध्यक्षों को उसी दिन भेज देगा।

कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्य केवल प्रस्ताव पास करना या बयान देना नहीं वरन् अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य करना है। यदि अध्यक्ष उनके कार्यों से सन्तुष्ट न हो तो उन्हें तुरन्त पद मुक्त कर सकता है।

ग. साधारण सदस्य बनने के नियमः

कर्तव्य- राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखनेवाला, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, निम्न योग्यता एवं कर्तव्य द्वारा परिवर्तन का सदस्य बन सकता है।

1. उसने आवेदन पत्र ''क'' में सदस्य बनने की लिखित घोषणा की हो (यह आवेदन पत्र उसे परिवर्तन के किसी सदस्य के माध्यम से या परिवर्तन के सचिवालय से आवेदन करने पर मिल सकेगा) व 100/-रु. वार्षिक शुल्क दिया हो। जिस क्षेत्र से जो व्यक्ति सदस्य बनेगा वही क्षेत्र उसका राजनैतिक कार्य क्षेत्र माना जायेगा।
2. कोई भी नागरिक किसी भी स्थान से सदस्य बनने का आवेदन सकता

है। सदस्यों को व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन में भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग यथा शक्ति कम से कम करना चाहिये। उसे परिवर्तन के संविधान के अन्तर्गत अनुशासन में रहना होगा अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। सदस्य को चाहिये कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिवर्तन को अवगत कराए तथा परिवर्तन की नीति अनुसार यथा स्थितिवादी, लोगों तथा सरकार से संघर्ष में निजी सहयोग दे।

उसे परिवर्तन का साहित्य बेचने पर उसके मूल्य का 50% रकम तथा हर नया सदस्य बनने पर उसे बनाने वाले को 50/- रु. प्रति सदस्य का वजीफा, निजी खर्च के लिये दिये जाऐंगे। नये सदस्य की मत शक्ति एक होगी। वह स्थानीय सभा (वार्ड/ग्रामसभा) का सदस्य होगा। इसकी बैठक हर माह पहले इतवार को होगी। स्थानीय सभा (वार्ड/ग्रामसभा) के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह भारत के किसी नागरिक को, जिसमें किसी भी राजनैतिक दल का सदस्य भी शामिल है, वार्ड/ग्रामसभा की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की अनुमति दे।

घ. योग्यता एवं कर्तव्य द्वारा मत शक्ति में वृद्धि तथा अधिकारों की प्राप्तिः

मतशक्ति में वृद्धि के लिये तीन तरीके हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

(अ) नवीनीकरण द्वाराः

15 अगस्त तक जो सदस्य पुनः सदस्यता ग्रहण करेंगे, वह उनका नवीनीकरण होगा। ऐसा करने पर उसकी मत शक्ति में एक मत की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार प्रति वर्ष समय पर नवीनीकरण कराते रहने से हर वर्ष उनकी मत शक्ति में स्वतः ही एक-एक मत ही वृद्धि होती जाएगी। इनकी मत शक्ति का उल्लेख उनकी सदस्यता की रसीद पर होगा। मतदान के समय उसे उतने मत शक्ति के मत पत्र दिये जावेंगे जितनी उसकी मत शक्ति है।

(ब) परिवर्तन से जुड़ने के अन्य स्तरः

योग्यता एवं कर्तव्य द्वारा मत शक्ति 50 हजार तक बढ़ाने के नियम तथा अधिकारों की प्राप्ति

i. वरिष्ठ सदस्यः-

(अ) कर्तव्य

1. कोई भी सदस्य परिवर्तन के 100 सदस्य बनाने पर वरिष्ठ सदस्य बन सकता है, वह अपनी आय का एक प्रतिशत प्रतिमाह परिवर्तन कोष में दान करेगा।
2. वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संस्था के माध्यम से एक वर्ष तक समाज-सेवा का रचनात्मक कार्य करेगा।

शिक्षण कार्य को सर्वश्रेष्ठ समाज सेवा का कार्य माना जायेगा।

3. उसे परिवर्तन संविधान की धारा 3 की व्याख्या ठीक से समझकर 1000 लोगों में पर्चे बांटकर यथा शक्ति परिवर्तन का प्रचार करना होगा।
4. अपने कार्य क्षेत्र की मतदाता सूची में जाली मतदाताओं के नाम हटवाएगा, नए मतदाताओं, परिवर्तन के सदस्यों तथा समर्थकों के नाम जुड़वायेगा। तथा मतदान के समय उनसे परिवर्तन के पक्ष में मतदान करवाएगा।

(ब) **अधिकार:**

वरिष्ठ सदस्य की मत शक्ति 5 (पांच) होगी। वह वार्ड/ग्रामसभा का सदस्य होगा। इस सभा की बैठक प्रतिमाह पहले रविवार को होगी। बिना पूर्व अनुमति लिये यदि वह तीन सभाओं में अनुपस्थित रहता है तो यह मान लिया जायेगा कि उसने मतशक्ति को त्याग दिया है। तब वह सदस्य बनकर रहेगा।

ii. **सक्रिय सदस्य:-**

(अ) **कर्तव्य**

1. कोई भी वरिष्ठ सदस्य परिवर्तन के 200 सदस्य बनाने पर सक्रिय सदस्य बनाने का आवेदन कर सकता है। सक्रिय सदस्य के निम्न कर्तव्य हैं। उन्हें पूरा करने पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सचिवालय द्वारा उन्हें सक्रिय सदस्यता प्रदान की जावेगी। स्थानीय सभा (वार्ड/ग्राम सभा) अध्यक्ष द्वारा कर्तव्य पूरे नहीं करने पर उनकी सक्रिय सदस्यता समाप्त की जा सकती हे। वह अपनी आय का दो प्रतिशत प्रतिमाह परिवर्तन कोष में दान देगा।
2. उसने निम्र पुस्तकें परिवर्तन सचिवालय से लेकर पढ़ी हों। स्नातक स्तर की पुस्तकों में से भारत का 20वीं सदी का इतिहास स्नातक स्तर तक योग दर्शन समझकर उसके अनुसार यम, नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि का नियमित अभ्यास परिवर्तन द्वारा निर्धारित अन्य साहित्य का पठन।
3. उसने परिवर्तन सचिवालय को लिखकर सूचना दी हो कि वह अपने हर बच्चे को उत्तराधिकार में एक किलो सोने के मूल्य से अधिक की सम्पत्ति नहीं देगा।
4. ग्राम वार्ड सेवा केन्द्र के माध्यम से वह किसी रचनात्मक कार्य में लगा हो तथा अपनी समाज सेवा एवं व्यवहार के

कारण उस क्षेत्र में आदर का पात्र हो।

5. वह जन सभाओं में भाव पूर्ण भाषण करने में सक्षम हो।
6. वह अन्याय, उत्पीड़न, दुराचार, भ्रष्टाचार, और सत्ता के किसी भी रूप के दुरुपयोग के विरुद्ध संघर्ष करता हो।
7. वह समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी उन सभी प्रवृतियों का प्रतिकार करता हो, जो देश की संस्कृति को नष्ट करती हैं।
8. वह स्वयं में सामाजिकता की भावना का विकास करेगा। विशेषकर परिवर्तन के सदस्यों का सहभोक्ता एवं सहभागी होगा।
9. वह आन्दोलन के समय जेल जाने को तत्पर रहेगा।
10. वह परिवर्तन से प्राप्त सूचनाओं को गुप्त रखेगा और अधिकृत व्यक्ति तक पहुंचायेगा।
11. वह परिवर्तन सचिवालय से चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणन अभिकर्ता का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होगा। चुनावों की घोषणा होते ही वह अपने काम काज से छुट्टी लेकर परिवर्तन के काम काज में पूरा समय देगा। अपने क्षेत्र के डाक द्वारा मतदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों से सम्पर्क करके परिवर्तन के पक्ष में मतदान करायेगा। अपने क्षेत्र के मतदाताओं से निरन्तर सामाजिक राजनैतिक स्तर पर सम्पर्क रखेगा तथा उनकी सूची तथा उनकी पहचान सदैव अपने पास रखेगा।

iii. कार्यकर्ता:-

(अ) कर्तव्य

1. कोई भी सक्रिय सदस्य कुल पांच हजार रुपये चंदा परिवर्तन को दिलवाने पर, कार्यकर्ता बनने का आवेदन कर सकता है। कार्यकर्ता के निम्न कर्तव्य हैं इन्हें पूरा करने पर, उनको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सचिवालय द्वारा कार्यकर्ता की पदवी दी जायेगी। अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन न करने पर उनकी यह पदवी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष द्वारा, निलम्बित की जा सकती है। सफाई देने व कर्तव्यों की भरपाई करने पर उन्हें यह पदवी पुन: दी जा सकती है। वे अपनी आय का 3% तीन प्रतिशत प्रतिमाह परिवर्तन कोष में दान करेंगे।
2. वह स्वयं में प्रबल एवं दृढ इच्छा शक्ति का विकास करेगा। इसको आधार बनाकर सभी प्रकार की शक्तियों (शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करेगा। उसका लक्ष्य महामानव की चरम शक्ति को प्राप्त करना होगा।
3. वह अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन के प्रचार हेतु

ज्ञापन, सभा, सम्मेलन, जुलूस, धरना, हड़ताल आन्दोलन आदि का आयोजन करे।

4. वह सभाओं में भाषणों से जनता में, वर्तमान व्यवस्था से संघर्ष करने हेतु, जोश भरने में सक्षम हो एवं जन समुदाय को संघर्ष करने को तैयार करने में सक्षम हो।

5. उसने निम्न पुस्तकें पढ़कर उनका सार अच्छी तरह समझ लिया हो। स्नातक स्तर की पुस्तकों द्वारा, विश्व इतिहास एवं राजनीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।

भारत का संविधान

हिन्द स्वराज्य एवं मेरी आत्मकथा - लेखक - महात्मा गांधी तथा महात्मा गांधी का सम्पूर्ण साहित्य।

पूँजी - लेखक - कार्ल मार्क्स

द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट - लेखक भीमराव अम्बेड़कर

अर्थ शास्त्र मार्क्स से आगे - लेखक - डा. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश एवं डा. लोहिया का सम्पूर्ण साहित्य

एकात्म मानववाद - लेखक - दीन दयाल उपाध्याय

Wealth of Nations by Adam Smith

Theory of Moral and Sentiments by Adam Smith

Know the truth & truth shall make you free by David Ishak

स्टोरी ऑफ फिलासफी - लेखक - विल डयूराण्ड़

इण्डिया एट क्रासरोड - लेखक - सुभाष चन्द्र बोस

भारत की भयावह आर्थिक स्थिति - लेखक - चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकों में से, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन वेदान्त दर्शन,

परिवर्तन द्वारा निर्धारित की गई अन्य पुस्तकें एवं साहित्य का पठन

6. उसने 10 रु. के अदालती स्टाम्प पेपर (नान ज्यूडिशियल) पर परिवर्तन सचिवालय को लिखकर दिया हो कि वह अपने हर बच्चे को एक किलो सोने के मूल्य से ज्यादा की सम्पत्ति उत्तराधिकार में नहीं देगा।

7. वह परिवर्तन से प्राप्त सूचनाओं को गुप्त रखेगा और उन्हें अधिकृत व्यक्ति तक पहुंचायेगा।

(ब) **अधिकार:-**

कार्यकर्ता की मत शक्ति 500 (पांच सौ) होगी। वह लोकसभा

निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन जनसभा का सदस्य होंगा। इसकी सभा प्रति माह तीसरे रविवार को होगी। बिना पूर्व अनुमति के इसकी तीन सभाओं में अनुपस्थित रहने पर यह मान लिया जाएगा कि उसने अपनी मत शक्ति को त्याग दिया है। तब वह सदस्य बन कर रहेगा।

iv. समाज सेवी:-

(अ) **कर्तव्य**

1. कोई भी कार्यकर्ता जीवन में केवल एक बार 51001/-रु. (इक्यावन हजार एक रुपये) चन्दा अथवा 500 वर्गफुट निर्मित परिवर्तन कार्यलय हेतु कमरे, परिवर्तन को दान में देने पर, समाजसेवी बनने के लिये आवेदन कर सकता है। समाज सेवी के निम्न कर्तव्य हैं। इन्हें पूरा करने पर उन्हें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सचिवालय द्वारा आजीवन समाजसेवी की पदवी दी जावेगी। अपने कर्तव्यों को पूरी तरह पालन न करने पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष द्वारा उनकी यह पदवी निलम्बित की जा सकती हे। सफाई देने पर या कर्तव्यों की भरपाई करने पर, उन्हें यह पदवी पुनः दी जा सकती है। वह अपनी आय का चार प्रतिश प्रतिमाह परिवर्तन कोष में दान करेगा।
2. वह जन सभाओं में अपने भाषणों से जनता का दिल जीत लेने में सक्षम हो।
3. वह अपने लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु हर संघर्ष को नेतृत्व देगा।
4. वह प्रवक्ता (धारा 20) के माध्यम से समाचार पत्रों, रेडियों, एवं दूर दर्शन द्वारा परिवर्तन की नीति का प्रचार करेगा।
5. उसने परिवर्तन सचिवालय से लेकर निम्न पुस्तकें पढ़ी हों:-
   ऋषि अरविन्द का सम्पूर्ण साहित्य
   फेडरिक नीत्शे का सम्पूर्ण दर्शन, तथा उनकी लिखी सभी पुस्तकें स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकों से सभी भारतीय एवं विदेशी दर्शन, अष्टा वक्र संहिता लेखक स्वामी नित्यस्वरूप नन्द, सत्यार्थ प्रकाश लेखक ऋषि दयानन्द
   स्नातकोत्तर स्तर की इतिहास की पुस्तकों में से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का राजनैतिक एवं आर्थिक इहितास।
   परिवर्तन द्वारा निर्धारित अन्य पुस्तकें एवं साहित्य का पठन।
6. उसने अदालती कागजों में घोषणा करके उसकी रजिस्ट्री

करवा दी हो कि वह अपने प्रत्येक बच्चे को उत्तराधिकार में एक किलो सोने के मूल्य से अधिक सम्पत्ति नहीं देगा।

7. वह परिवर्तन से प्राप्त सूचनाओं को गुप्त रखेगा और उसे अधिकृत व्यक्ति तक पहुंचायेगा।

(ब) **अधिकार:-**

समाज सेवी की मत शक्ति 5000 (पांच हजार) होगी। वह परिवर्तन विधान परिषद का सदस्य होगा। इसकी सभा प्रतिमाह चौथे रविवार को होगी। बिना अनुमति के इसकी तीन सभाओं में लगातार अनुपस्थित रहने पर यह मान लिया जायेगा कि उसने अपनी मत शक्ति को त्याग दिया है।

v. समाज प्रस्थी:-

(अ) **कर्तव्य**

1. कोई भी समाज सेवी व्यक्ति, जो अपनी गृहस्थी के दायित्वों से मुक्त होकर अपना अधिकांश समय एवं शक्ति राजनीति में दे, वह निम्न कर्तव्यों को पूरा करने पर ''समाज प्रस्थी'' बन सकता है वह अपनी आय का 5 प्रतिशत परिवर्तन को दान करेगा। उसे यह पदवी प्रान्तीय सचिवालय द्वारा पहली बार परिवर्तन की ओर से विधान सभा या लोकसभा का आम चुनाव लड़ने के तुरन्त बाद दी जाएगी। उसे राजनीति में निरंतर सक्रिय रहना होगा।

2. उसने निम्नलिखित पुस्तकें पढ़ी हों:-

विश्व के प्रमुख धर्मों के आधारभूत सिद्धान्तों तथा प्रमुख संस्कृतियों का अध्ययन एवं मनन।

उनसे अपेक्षा है कि वे स्वाध्यायी बनकर, अपने देश की संस्कृति के अनुरूप सभ्यता, परम्परा, लोकाचार एवं लोकनीति के विकास में भरपूर सहयोग दें।

अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह न करने पर उनको सेक्रेट्री जनरल (देखें धारा 15) द्वारा, उनकी पदवी से निलम्बित किया जा सकता है। उनके द्वारा सफाई देने या कर्तव्यों को पूरा करने पर उन्हें यह पदवी लौटाई जा सकती है।

(ब) **अधिकार:-**

समाज प्रस्थी की मत शक्ति 50,000 (पचास हजार) होगी। वह भारतीय परिवर्तन राज्य सभा का सदस्य होगा। इसकी सभा प्रतिमाह चौथे रविवार को होगी। बिना पूर्वानुमति के इसकी तीन सभाओं में लगातार अनुपस्थित रहने पर यह मान लिया जायेगा कि उसने अपनी मत शक्ति को त्याग दिया है। तब

वह सदस्य बन कर रहेगा।

6. **समर्थकः** परिवर्तन की नीतियों का प्रचार करने वाला ''समर्थक'' के नाम से जाना जायेगा। परिवर्तन में उसकी मत शक्ति नहीं होगी।

7. **सहयोगीः** परिवर्तन को प्रतिमाह 100/-रु. आर्थिक सहयोग देने वाला तथा परिवर्तन सदस्यों को आपातकाल में सहयोग करने वाला ''सहयोगी'' के नाम से जाना जायेगा। परिवर्तन में इनकी मत शक्ति नहीं होगी।

8. **सहभागीः** परिवर्तन के एक समाज प्रस्थी या पूर्णकालिक कार्यकर्ता के आवास, भोजन तथा कपड़ों की आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने वाला नागरिक परिवर्तन का सहभागी होगा उसके परिवार की सुरक्षा का दायित्व परिवर्तन लेगा। परिवर्तन में उसकी मत शक्ति नहीं होगी।

9. **प्रचारकः** जो भाषण कर्ता अपनी ओजपूर्ण वाणी से जनता को अपने पक्ष में कर सके ऐसे महानुभावों को अध्यक्षों द्वारा चयनित करके आम सभाओं या सम्मेलनों में भाषण करने हेतु बुलाया जायेगा। उन्हें प्रचारक के नाम से जाना जायेगा। परिवर्तन में इनकी मत शक्ति नहीं होगी।

10. **संरक्षकः** व्यापारिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न कोई भी संस्था अथवा व्यक्ति परिवर्तन को प्रति वर्ष दस लाख रुपये या इससे अधिक चन्दे में दे तो उसे परिवर्तन के सेक्रेट्री जनरल (देखें धारा 15) द्वारा, परिवर्तन का संरक्षक घोषित किया जायेगा। ''संरक्षक'' के वैध आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक हितों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र जन सभा के अध्यक्ष की होगी। वह यह कार्य धारा 13 ड. 9 में लिखित सुरक्षा परिवर्तन के माध्यम से करेगा। संरक्षक को आमसभा, सम्मेलन तथा जुलूस में नेतृत्व करने को भी आमंत्रित किया जाएगा। परन्तु उसकी दखल संगठनात्मक कार्यों में नहीं होगी। परिवर्तन में इनकी मत शक्ति नहीं होगी। यदि वह आम चुनाव लड़ना चाहे तो उसे सेक्रेट्री जनरल को आवेदन करना होगा। जिसका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा।

11. **आजीवन सदस्यः** जो सदस्य आजीवन परिवर्तन के लिए कार्य करना चाहते हैं वे आवेदन करें। उनको उनकी योग्यतानुसार महत्वपूर्ण राजनैतिक कार्य सौंपे जाऐगे।

(स)आन्तरिक चुनाव जीतने पर मत शक्ति में वृद्धिः-

किसी भी स्तर के अध्यक्ष चुने जाने पर उसकी मत शक्ति में उतने मतों की वृद्धि हो जायेगी, जितने मत उसे अध्यक्ष चुने जाते समय मिले थे इस इस बड़ी हुई मत शक्ति का उपयोग वह केवल उसी सभा में कर सकेगा जिसका कि वह अध्यक्ष चुना गया है। उसके इस पद से हटते ही अथवा धारा 16 के चुनाव से पूर्व उसकी यह बढ़ी हुई मत शक्ति स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।

(ड.) **सदस्यों के अधिकार:-**

परिवर्तन के सभी स्तरों से जुड़े सदस्यों को यह अधिकार है कि वे जरूरत होने पर, सचिवालय के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों, नेताओं, अध्यक्षों, कार्यकारिणी के सदस्यों एवं मुख्य सचिव से तुरन्त मिल सकें, उनसे आवश्यक जानकारी एवं सहयोग ले सकें, तथा उन्हें अपने विचार निर्भीकता से बता सकें। आम चुनाव के दौरान परिवर्तन के प्रत्याशी तथा आन्दोलन, पदयात्रा आदि के समय नेतागण, कार्यकर्ता, समाजसेवी, तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्र के अध्यक्ष से अपनी निजी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं जिसे वह सुरक्षा परिवर्तन धारा 13 ड 9 के स्वयं सेवकों द्वारा पूरा करेगा। यदि वे सन्तुष्ट नहीं हों तो अपनी शिकायत "अनुशासन समिति धारा 18" को भेज सकते हैं। वे अपनी किसी भी प्रकार की अन्य शिकायत या गुप्त सूचना भी "अनुशासन समिति" भारतीय मुख्यालय के पते पर भेज सकते हैं। इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा और तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।

धारा 11

आर्थिक व्यवस्था:-

धारा 10 में वर्णित सभी सदस्यता आवेदन पत्र व चन्दे की रसीदें भारतीय सचिवालय के प्रधान से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सचिवालय का प्रधान प्राप्त करेगा और उसे स्थानीय सभा (वार्ड/ग्राम सभा) अध्यक्षों को रसीद लेकर वितरित करेगा। अध्यक्ष इसे अपने क्षेत्र के वरिष्ठ सदस्य, सक्रिय सदस्य, कार्यकर्ता, समाजसेवी, एवं समाजप्रस्थियों को रसीद लेकर देगा। चन्दे की रसीद पर वार्ड/ग्रामसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। 50/- रु. प्रति सदस्य, उस सदस्य को कमीशन की राशि के रूप में दिये जावेंगे जिसने नया सदस्य बनाया है। परिवर्तन साहित्य की बिक्री का भी 50 प्रतिशत वजीफा, उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके माध्यम से साहित्य की बिक्री हुई है। शेष धन इकट्ठा करके, ये सभी लोग, ज्यों ज्यों धन आयेगा उसे तुरन्त वार्ड/ग्रासभा अध्यक्ष के पास जमा करा देंगे। हर माह के पहले रविवार को हिसाब बना कर अध्यक्ष उसे वार्ड/ग्रामसभा की बैठक में पेश करेगा। इसका 75 प्रतिशत भाग वार्ड/ग्रामसभा के

लिए रख लिया जावेगा। इसे वार्ड/ग्रामसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार खर्च किया जायेगा। हिसाब बनाकर शेष रकम को हर माह की 10 तारीख तक, सेक्रेट्री जनरल के नाम चैक बनाकर, भारतीय परिवर्तन सचिवालय को भेज दिया जाएगा। संरक्षकों से प्राप्त रकम व अन्य चन्दे (नकद, बैक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा) केवल सेक्रेट्री जनरल द्वारा ग्रहण किये जायेंगे।

सभी अध्यक्षों को उनकी आवश्यकतानुसार परिवर्तन सचिवालय द्वारा 1000/- तथा 10,000/-रु. मूल्य के कूपन तथा परिवर्तन का साहित्य बिक्री हेतु दिया जाएगा। जिन्हें बेचकर उसे 75 प्रतिशत भाग से ये अपने राजनैतिक कार्यों का खर्च चलाऐंगे तथा 25 प्रतिशत भाग सेक्रेट्री जनरल परिवर्तन सचिवालय को भेजकर हर महीने की दस तारीख तक पिछले माह का हिसाब देंगे।

धारा 12

अध्यक्ष बनने की आवश्यक योग्यताएं:-

परिवर्तन से विभिन्न स्तर पर जुड़ने वाले सदस्यगण विभिन्न स्तरों के सदनों के सदस्य होते हैं। वे अपने अपने सदनों के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अनुसार वरिष्ठ सदस्य-वार्ड/ग्रामसभा, सक्रिय सदस्य-क्षेत्र सभा, कार्यकर्ता - जनसभा, समाजसेवी-विधान परिषद, तथा समाजप्रस्थी-राज्यसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिये उनमें निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है:-

1. उसने परिवर्तन संविधान को सहयोग राशि 1100/- रुपये देकर प्राप्त कर लिया हो तथा उसका अध्ययन किया हो।
2. वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
3. वह मन वचन तथा कर्म में एक रूपता रखता हो।
4. उसने अपनी सम्पत्ति तथा आय का विवरण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सचिवालय तथा उसकी प्रतिलिपि भारतीय सचिवालय को भेज दी हो।
5. वह आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो तथा उस पर कोई कर्ज न हो।
6. वह भाषण कला में प्रवीण हो।
7. वह किसी भी स्थिति में चुनावी मैदान से न हटने को प्रतिज्ञाबद्ध हो।
8. वह सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा होने पर अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार हो।
9. एक व्यक्ति एक समय में एक राजनैतिक पद पर रहेगा। वह लगातार दो वर्ष से अधिक किसी एक पद पर नहीं रहेगा।
10. अपने घोषित राजनैतिक कार्यों को समय पर पूरा न करने पर उसे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों सहित पद त्याग करना होगा।

धारा 13

अध्यक्षों के कर्तव्य एवं अधिकार, नेतृत्व निर्माण, सभा संचालन के नियम, चुनावी रणनीति एवं प्रचार तन्त्र

क. अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार

परिवर्तन को शीघ्रातिशीघ्र सत्ता में लाना उसका कर्तव्य होगा। एक व्यक्ति संगठन में एक ही पद ले सकता है। आम चुनाव होने पर यदि वह चुनाव लड़े और उसका निर्वाचन हो जावे तो उसे संगठन के पद से तुरन्त इस्तीफा देना होगा। अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी/मंत्रीमण्डल गठित करने को पूर्ण स्वतंत्र होगा जो अपने अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगी। सभी अध्यक्ष अपने क्षेत्र के सभी स्तर के संगठन से जुड़े लोगों को समय समय पर चुनाव अभियान तथा चुनाव प्रक्रिया का प्रशिक्षण देते रहेंगे। ताकि परिवर्तन सदैव चुनाव के लिये तैयार रहे वह भारत के किसी भी नागरिक को परिवर्तन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रच्छन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकता है। यह भेद खुलने पर उसे पद त्यागना होगा। सभी खरीद तथा खर्च अध्यक्षों के आदेश पर होंगे तथा उस पर ही यह जिम्मेदारी है कि माल आने पर अथवा कार्य ही जाने पर वह नकद/चैक द्वारा भुगतान करे। 5000/- पांच हजार रु. तक का भुगतान नकद देकर किया जा सकता है। पद त्याग करने से पूर्व उसे अपने कार्यकाल में किये गये कार्य या मंगाऐ हुए माल का पूरा भुगतान करना होगा।

ख. **नेतृत्व निर्माण:-**

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सभा के अध्यक्ष प्रदेश विधानसभा तथा लोक सभा निवार्चन क्षेत्र परिवर्तन जनसभा के अध्यक्ष भारतीय परिवर्तन लोकसभा के पदेन सदस्य होंगे तथा अपनी मत शक्तियों के आधार पर प्रदेश परिवर्तन अध्यक्ष एवं भारतीय परिवर्तन अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। सभी परिवर्तन अध्यक्ष अपना छाया मंत्री मंडल (Shodow Cabinet) बनायेंगे। उसमें शामिल मंत्रियों को अपने मंत्रालय विभाग में विशेषज्ञ होना अनिवार्य है। मंत्रीमंडल के शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व, उन्हें अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी। उनकी संख्या तथा विभागों का वितरण उसी प्रकार होगा जिस प्रकार के मंत्रीमण्डल उस समय केन्द्र तथा सम्बन्धित प्रदेश में बनाये गये हैं। ज्यों ही सरकार के मंत्रीमंडल में कोई प्रशासनिक परिवर्तन होगा उसके अनुरूप परिवर्तन के मंत्रीमंडल में भी तुरन्त परिवर्तन होगा। मंत्रीमंडल के इन सदस्यों का प्रमुख कार्य अपने से सम्बन्धित सरकार विभाग के क्रियाकलाप एवं सरकार नीतियों की निरंतर आलोचना तथा उस विभाग के लिये परिवर्तन की वैकल्पिक नीतियों का प्रचार करना होगा।

अध्यक्ष मन्डल:- हर स्तर की सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे वे अपने स्तर के वर्तमान अध्यक्ष को सलाह दे सकते हैं तथा उसके निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

ग. **सभा संचालन के नियम:-**

किसी भी स्तर के अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सभा का प्रारम्भ नियत समय पर होगा। नियत समय के 10 मिनट बाद सभा का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जायेगा। सभा में प्रवेश उसी सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित परिचय के आधार पर ही हो सकेगा। जिसे इसी धार 13ड9 में इंगित, सुरक्षा परिवर्तन के स्वयंसेवकों द्वारा जाँचा जायेगा। सभा के आयोजन में होने वाले खर्चे की पूर्ति हेतु अध्यक्ष द्वारा प्रवेश शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी वक्ता का भाषण, वाद-विवाद या प्रश्नोत्तर लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल ही हो सकेगा। अध्यक्ष को अधिकार है कि वह, दुर्भावना से प्रवेश लेने वाले

तथा अनुशासनहीनता करने वालें को सभा से चलें जाने का आदेश दे। यदि वे न मानें तो अध्यक्ष के आदेश से परिवर्तन के स्वयंसेवक उन्हें, सभा से बाहर धकेल देंगे। उनकी इस कार्यवाही को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। किसी प्रस्ताव पर मतभेद होने पर योग्यतान्त्रिक मतदान पद्धति के अनुसार उपस्थित सदस्यगण अपनी अर्जित की हुई मत शक्तियों का उपयोग करेंगे। प्रस्ताव पारित होने पर उसको सफल बनाना सभी सदस्यों का परम कर्तव्य होगा।

घ. **चुनावी रणनीतिः-**

एक सी राजनैतिक समझ रखने वाले अन्य राजनैतिक दल परिवर्तन से जुड़कर, व्यवस्था परिवर्तन गठबन्धन बना सकते हैं। यह वार्ड/ग्राम, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, राज्य तथा राष्ट्रीय किसी भी स्तर पर हो सकता है। इस सम्बन्ध में अन्य दलों को सम्बन्धित क्षेत्र के परिवर्तन अध्यक्ष के साथ राजनैतिक बातचीत करनी होगी और स सम्बन्ध में उन्हीं का मत निर्णायक होगा। अध्यक्ष इस सम्बन्ध में अपने से उच्च स्तर के अध्यक्ष को तुरन्त सूचना देगा। वह सूचना सेक्रेट्री जनरल तथा सभी स्तर के अध्यक्षों एवं प्रवक्ताओं तक तुरन्त पहुंचाई जाएगी।

ड. **प्रचार तंत्रः-**

भारतीय परिवर्तन राज्य सभा के अध्यक्ष, सम्बन्धित प्रदेश परिवर्तन विधान सभा के अध्यक्ष की सलाह से हर प्रदेश में अन्य राजनैतिक पार्टियों को छोड़ कर परिवर्तन में शामिल होने वाले नेताओं की नियुक्तियों निम्न संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारियों एवं सदस्यों के रूप में एक वर्ष के लिये करेंगे। इसमें इनका एक मात्र कार्य परिवर्तन की विचारधारा का प्रचार अपने सम्बन्धित वर्गों में करना होगा। कालान्तर में ये परिवर्तन के सदस्य बनकर अपनी राजनैतिक योग्यतानुसार परिवर्तन की योग्यतांत्रिक व्यवस्था द्वारा अपनी मत शक्ति बढ़ाकर परिवर्तन में उच्चतम पदों को प्राप्त कर सकेंगे।

1. बुद्धि जीवी परिवर्तन
2. प्रचार परिवर्तन
3. युवा महिला परिवर्तन
4. युवा पुरुष परिवर्तन : 18 से 40 वर्ष
5. प्रौढ़ महिला परिवर्तन : 40 से 60 वर्ष
6. प्रौढ़ पुरुष परिवर्तन : 40 से 60 वर्ष
7. वृद्ध महिला परिवर्तन : 60 से अधिक
8. वृद्ध पुरुष परिवर्तन : 60 से अधिक
9. सुरक्षा परिवर्तन : इसमें पुलिस तथा सेना के सेवानिवृत लोग होंगे
10. आर्थिक परिवर्तन : इसमें उद्योगपति व व्यापारी होंगे
11. जागरूक नागरिक परिवर्तन
12. सांस्कृतिक परिवर्तन
13. उपभोक्ता परिवर्तन
14. छात्रा परिवर्तन

15. छात्र परिवर्तन
16. किसान परिवर्तन
17. मजदूर परिवर्तन
18. स्थानीय सुरक्षा गार्ड इसमें 18 से 25 वर्ष के लड़के-लड़कियों को लिया जाएगा। हर मतदान केन्द्र पर उनकी नियुक्ति की जाऐगी। स्थानीय अध्यक्ष उनके निजी खर्च हेतु मासिक वजीफे की व्यवस्था करेंगे।

इसी प्रकार अन्य परिवर्तन भी बनाए जा सकते हैं। परन्तु अमीरी/गरीबी, क्षेत्र, नस्ल, जाति एवं धर्म के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं बनायी जाएगी।

पंचायत/वार्ड निर्वाचित क्षेत्र परिवर्तन का अध्यक्ष परिवर्तन सेवा केन्द्र के माध्यम से समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रम चलायेगा। इस केन्द्र के कार्यों में उपरोक्त परिवर्तन भी सहयोग देंगे।

धारा 14

रिक्त स्थान:-

कोई भी पदाधिकारी यदि बिना पूर्वानुमति के, परिवर्तन की सभाओं में लगातार चार बार अनुपस्थित रहता है तो वह उसका त्याग पत्र माना जाएगा। सदस्यता का नवीनीकरण न कराने, अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप निकाल दिये जाने, त्यागपत्र देने, संक्रामक यौन रोगी होने, देशद्रोह की गतिविधियों में लिप्त होने, पागल, दिवालिया, बलात्कारी होने अथवा मृत्यु हो जाने पर स्थान रिक्त हो जाएगा। उसे एक माह के भीतर भर लिया जावेगा। परिवर्तन से जुड़े किसी भी व्यक्ति का त्याग-पत्र तभी स्वीकार किया जावेगा जब उसने सम्बन्धित सचिवालय को अपना पूरा हिसाब देकर अपनी देनदारी चुका दी हो अन्यथा उसे भगोड़ा घोषित करके आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

धारा 15

सेक्रेट्री जनरल (प्रधान सचिव) का कार्यकाल, कर्तव्य तथा अधिकार, विशेषाधिकार तथा निषेधाधिकार

क. कार्यकाल

परिवर्तन में सेक्रेट्री जनरल (प्रधान सचिव) का केवल एक ही पद है यह पद राजनैतिक नहीं वरन् प्रशासनिक पद है। परिवर्तन की भावना की शुद्धता एवं विकास हेतु इस पद का स्थाई होना आवश्यक है। अतः परिवर्तन के संविधान को लिपिबद्ध करने वाले संसार चन्द्र इस पूर्णकालिक पद पर आजीवन रहेंगे। समय आने पर उपयुक्त तथा पात्र मिलने पर वे योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव परिवर्तन के किसी ऐसे पदाधिकारी में से करेंगे जो समाजप्रस्थी एवं प्राकृतिक दर्शन में पारंगत हो तथा कम से कम लगातार 10 वर्षों से परिवर्तन में कार्यरत हो। उन्हें वर्तमान कार्यकारिणी में जनरल सेक्रेट्ररी (महामंत्री) का राजनैतिक कार्यभार भी दिया गया है। यह कार्यभार पूर्णतः राजनैतिक है। इसे वे कालांतर में पुनः चुनाव लड़कर प्राप्त कर सकते हैं।

ख. कर्तव्य:-

उसे परिवर्तन की धारा 3 के अनुरूप समाज की पुनर्रचना एवं संविधान की

भावना के अनुसार कार्य करना क कर्तव्य होगा।

ग. अधिकार:-

धारा 16 में वर्णित प्राथमिक चुनावों में विजयी प्रत्याशियों को, वे आम चुनाव के लिये चुनाव आयोग को सूचना देने हेतु चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे। जहां से परिवर्तन के प्रत्याशी की जीत की संभावना न हो वहां वे किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने का सुझाव सम्बन्धित क्षेत्र के सदस्यों को दे सकते हैं।

सेक्रेट्री जनरल सभी सचिवालयों में प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रधान, चौधरी, मुखिया, निर्देशक, व्यवस्थापक, कोषाध्यक्ष, सचिव, प्रवक्ता तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। उनके मांध्यम से वह सर्वेक्षण, वाद-विवाद, सम्मेलन/गोष्ठियों द्वारा सामाजिक संघर्ष के मुद्दे एवं चुनावी मुद्दे तय करेगा उनका प्रचार करेगा तथा अन्य प्रशासनिक कार्य करेगा। प्रान्तीय अध्यक्षों तथा राजनैतिक समिति से सलाह ले कर प्रान्तीय घोषणा पत्र एवं संघर्ष के मुद्दे तय करेगा। वह चन्दे, सदस्यता तथा कूपन से प्राप्त हुई धनराशि चैक, ड्राफ्ट को ग्रहण करेगा और बैंक में कैशियर की हैसियत से खाता खोलकर हिसाब रखेगा। हिसाब का हर वर्ष लेखा जांच (आडिट) कराया जाएगा। परिवर्तन कोष में प्राप्त धनराशि को परिवर्तन की लक्ष्य सिद्धि के लिये खर्च करेगा। जिन क्षेत्रों में परिवर्तन का संगठन नहीं बना वहां संयोजक नियुक्त करेगा। इनकी मत शक्ति परिवर्तन के आन्तरिक चुनाव में चुने जाने पर ही होगी। ये महामंत्री द्वारा निर्धारित समय में संगठन के चुनाव, संविधान के अनुसार करायेंगे। जो राजनैतिक दल परिवर्तन में विलय चाहते हों, उनसे बातचीत हेतु परिवर्तन के पदाधिकारियों में से किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को उस दल में कार्य करने हेतु नियुक्त करेगा। विलय का अन्तिम निर्णय आम सहमति द्वारा ही किया जायेगा।

घ. **विशेषाधिकार एवं निषेधाधिकार:-**

परिवर्तन का संविधान कठोर है अत: परिवर्तन के शैशव काल में इसे विधि वत निर्वाचित प्रदेशाध्यक्षों की सलाह पर लचीला बना सकता है या इसमें संशोधन कर सकता है परिवर्तन के लिये पूर्णकालिक राजनैतिक कार्य करने वालों की नियुक्ति, उसके द्वारा की जाएगी, जिसका वास्तविक खर्चा परिवर्तन द्वारा देय होगा। परिवर्तन के लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि परिवर्तन का कोई राजनैतिक निर्णय रुकावट डालता है तो वह उसे रद्द कर सकता है।

धारा 16

आम चुनाव के लिये परिवर्तन के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया:-

परिवर्तन के प्रत्याशियों के चयन में सम्बन्धित क्षेत्र के सदस्यों का प्राथमिक चुनाव प्रक्रिया द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम होगा। चुनाव की भनक मिलते ही अथवा अचानक चुनाव होने पर अधिसूचना जारी होते ही सदस्यता अभियान बन्द कर दिया जावेगा। पिछले चुनाव से इस चुनाव तक सम्बन्धित क्षेत्र के सभी पूर्व अध्यक्ष चुनाव संचालन समिति के सदस्य बन जायेंगे। इसका अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष होगा। वे परिवर्तन प्राथमिक चुनाव हेतु मतदान केन्द्र तय करेंगे, उस क्षेत्र के सब से अधिक मत शक्ति

वाले सदस्य को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेंगे, क्षेत्र की परिवर्तन मतदाता सूची एवं हर सदस्य की मत शक्ति 24 घन्टे में प्रकाशित करेंगे तथा प्राथमिक चुनाव कराने हेतु अन्य तैयारियां करेंगे। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में पंजीकृत सदस्य है उसी क्षेत्र में उसके टिकिट के लिये उसके समर्थक आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रत्याशियों की सहमति अनिवार्य है। परिवर्तन संरक्षक अथवा सहयोगी दल के किसी नेता के लिये भी उनके समर्थक आवेदन कर सकते हैं। वे एक व्यक्ति के लिए केवल एक चुनाव क्षेत्र के लिये आवेदन कर सकते हैं। उसकी योग्यता प्रमाणित करने के लिये उसके समर्थक उसे उसी क्षेत्र में परिवर्तन प्राथमिक चुनाव लड़वायेंगे। इस चुनाव में मतदाता उसी क्षेत्र के परिवर्तन के सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, सक्रिय सदस्य, कार्यकर्ता, समाजसेवी, समाजप्रस्थी तथा वर्तमान अध्यक्ष होंगे। ये सभी चुनाव अधिसूचना जारी होने के एक माह पूर्व की अपनी अर्जित की हुई मतशक्ति का उपयोग मतदान में करेंगे। मतदान नामांकन भरने के अन्तिम दिन नामांकन समय समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जावेगा। उसके परिणामों की जानकारी केवल निर्वाचन अधिकारी तथा अध्यक्ष को होगी जो नामांकन प्रक्रिया के अन्तिम दिन तक गुप्त रहेगी। टिकिटार्थियों के नाम की जगह खाली छोड़कर चुनाव चिन्ह सम्बन्धित क्षेत्र के वर्तमान अध्यक्ष को पहिले ही भेज दी जाएगी। यदि मतों के विभाजन के कारण विजयी टिकिटर्थियों को 60 प्रतिशत मत नहीं मिले तो अधिकतम मत पाने वाले दो टिकिटाथियों में प्राथमिक चुनाव का दूसरा दौर कराया जाएगा तथा बहुमत पाने वाले को उस क्षेत्र के अध्यक्ष के माध्यम से सेक्रेट्री जनरल द्वारा टिकिट दिया जायेगा। प्राथमिक चुनाव के नतीजों को गुप्त रखा जाएगा। विरोधियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से सभी टिकिटार्थी चुनाव अधिकारी को आवेदन करेंगे। नामांकन वापस लेने के अन्तिम एक घंटे में अधिकृत के अलावा अन्य सभी प्रत्याशी अपने नाम वापस लेंगे।

यह कार्य, अत्यन्त कुशलता एवं गोपनीयता से किया जाएगा ताकि परिवर्तन के सभी टिकिटार्थी सरकार को आवेदन करने के प्रथम दिन ही सबसे पहले सही तरीके से आवेदन कर सकें तथा नाम वापस लेने के अन्तिम एक घंटे में नाम वापस लें। यदि प्राथमिक चुनाव में जीतने वाले, टिकिटार्थी का नामांकन सरकार द्वारा गलत पाया गया तो उससे कम मत पाने वाले टिकिटार्थी जिसका नामांकन सही पाया गया हो को चुनाव चिन्ह दे दिया जायेगा। फिर सभी टिकिटार्थी तथा परिवर्तन के सभी लोग जी जान से एक मन एक प्राण होकर अपने प्रत्याशी को जिताने में जुट जाएंगे। गोपनीयता भंग करने अथवा चुनाव अभियान में ढील बरतने वालों पर कठोर अनुशात्मक कार्यवाही की जायेगी।

धारा 17

परिवर्तन के जन प्रतिनिधि के कर्तव्य तथा उन्हें पूरा न करने पर त्यागपत्र लेने की प्रक्रिया:

चुनाव जीतने पर निर्वाचित प्रतिनिधि को सम्बन्धित क्षेत्र में परिवर्तन के सदन की बैठकों में नियमित रूप से आकर अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। जब कभी

पंचायत, नगर परिषद, विधान सभा या संसद का सत्र नहीं चल रहा हो अथवा उसकी किसी ऐसी समिति की बैठक नहीं हो रही हो जिसका वह सदस्य है, तो उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही निवास करना होगा। उसे अध्यक्ष के निर्देशानुसार निर्वाचित सदनों (पंचायत, नगर परिषद, विधान सभा, लोकसभा) में मतदान करना होगा। जन समस्याओं को हल करना होगा। इसमें उसे परिवर्तन के सदस्यों तथा इसके ऊपर के स्तर के सभी लोगों की समस्याओं को सुलझाने में भरपूर सहयोग करना होगा। ऐसा न करने पर उसे अपने निर्वाचित पद से त्यागपत्र देना होगा। अन्यथा क्षेत्र का अध्यक्ष अनुशासन समिति को लिखेगा और उसे परिवर्तन से निकाल दिया जाएगा। तब उसे निर्वाचित पद से त्यागपत्र देने के लिये मजबूर किया जाएगा।

धारा 18

अनुशासन समितिः-

सेक्रेट्री जनरल समाजप्रस्थियों में से, केन्द्रीय अनुशासन समिति तथा प्रान्तीय अनुशासन समिति का गठन करेगा वह इसका अखिल भारतीय अध्यक्ष होगा। इसके अन्तर्गत गुप्त सूचना विभाग होगा। आर्थिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक अनुशासन भंग करने की शिकायत मिलने पर तथा विरोधी दलों तथा यथा स्थितिवादी शक्तियों द्वारा परिवर्तन में घुसपैठ, नुक्ताचीनी, कानाफूसी, गलत फहमी, बदनामी, कलंक लगाना, योजना बद्ध तरीके से छवि विकृत करने का प्रयास (Smearing Campaign) आदि षड़यंत्रों द्वारा इसे हानि पहुंचाने, दिवालिया, पागल, बलात्कारी, संक्रामक यौन रोगी, देशद्रोही होने की गुप्त सूचना पर, अनुशासन समिति द्वारा तुरन्त जाँच पड़ताल करके, तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इसके किसी भी निर्णय को किसी भी न्यायालय अथवा आयोग में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

धारा 19

व्यक्तित्व एवं वेषभूषाः-

व्यक्तित्व के बारे में धारा 8 में तथा इसके विकास एवं आंकलन के बारे में धारा 10 में लिखा जा चुका है। परिवर्तन की कोई निर्धारित वेष भूषा नहीं है। पर इसके वरिष्ठ सदस्यों तथा इसके ऊपर के स्तर के परिवर्तन से जुड़े व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य का एवं शारीरिक सौष्ठव का विशेष ध्यान रखेंगे एवं अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही साफ आकर्षक एवं सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनेंगे। पर फैशन के अतिरेक से बचेंगे। परिवर्तन में कार्यरत आकर्षक व्यक्तित्व के लोगों को प्रति वर्ष सम्मानित किया जायेगा। सदस्यों को प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सचिवालय द्वारा परिचय पत्र दिया जाएगा। उसको दिखाकर ही वे परिवर्तन की किसी सभा में प्रवेश कर पाएंगे। वर्तमान में असुरक्षित अवस्था को देखते हुए यदि वे निजी सुरक्षा हेतु कोई हथियार रखना चाहेंगे तो वे उसके लाइसेंस तथा खरीद एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था में सचिवालय का सहयोग ले सकते हैं।

धारा 20

प्रवक्ता:-

सेक्रेट्री जनरल एवं उसके द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय, प्रान्तीय एवं जिले के प्रवक्ता ही परिवर्तन के अधिकृत प्रवक्ता होंगे। प्रेस, रेडियो या दूरदर्शन पर कोई भी बयान या इन्टरव्यू, इनके माध्यम से ही दिया जा सकेगा। आम चुनावों में परिवर्तन के प्रत्याशी भी परिवर्तन के प्रवक्ता माने जाएंगे। प्रवक्ता का कर्तव्य है कि वह ''मीडिया'' से अच्छे सम्बन्ध रखें। तथा उनके माध्यम से परिवर्तन की जुझारू तथा उज्जवल छवि जनता को पेश करें।

धारा 21

सदस्यता स्थगन:-

किसी विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र अथवा प्रान्त में परिवर्तन के चुनाव में विजयी होते ही उस क्षेत्र की सदस्यता पर स्वत: रोक लगा जायेगी। ताकि अवांछनीय अवसरवादी तत्व परिवर्तन में घुसपैठ न कर सकें। यह रोक प्रदेश अध्यक्ष की सलाह पर सेक्रेट्री जनरल द्वारा किसी भी समय हटाई जा सकती है अथवा स्वत: ही अगले चुनाव से एक वर्ष पूर्व स्वत: हट जाएगी।

धारा 22

संविधान में संशोधन:-

वर्तमान संविधान के अनुसार जब देश में सभी प्रान्तों में परिवर्तन के संविधान के अनुसार चुनाव हो जायें तो योग्यतान्त्रिक मतदान पद्धति के 3/4 मत मिलने पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तब तक सेक्रेट्री जनरल परिवर्तन अध्यक्ष अथवा कार्यकारी अध्यक्ष की भावनाओं तथा सुझावों का ध्यान रखकर इसमें संशोधन कर सकते हैं।

धारा 23

विसर्जन:-

परिवर्तन के संविधान की धारा 3 के अनुरूप कानून बन जाने पर एक पीढी के लोगों में शिक्षा द्वारा जीवन्त परम्परा एवं रीति रिवाज का रूप देकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह सदैव कायम रहे। तब जनमत संग्रह द्वारा जनता से अनुमति लेकर परिवर्तन सहित देश के सभी राजनैतिक दल भंग कर दिये जावेंगे तथा उनकी सम्पत्ति जनहित कार्यों में खर्च कर दी जाएगी। तब दल विहीन योग्यतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सरकार चलाई जाएगी।

ऐसी राज्य व्यवस्था का उल्लेख महाभारत के शान्ति पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर से किया था। उन्होंने बतलाया कि बहुत पहिले ऐसी राज्य व्यवस्था थी जिसमें

''न राज्यंम् न राजाऽऽसीत, न दन्डयो न च दन्डिक:''

(कोई राजा न था क्योंकि राज्य ही नहीं था! कोई कानून न था क्योंकि कोई अपराधी ही नहीं था!!)

''धर्म णैव प्रजा स्सर्वा, रक्षान्ति स्म परस्परम्''

(अपने अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा के लोग एक दूसरे की रक्षा करते थे!!!)